निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)

वर्ष 2025-26 तक पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन

दिशा-निर्देश/कार्य-विधियां

स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
एन एच बाई पास, पालारिवट्टोम.पीओ
कोचीन-682025
केरल, भारत

निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)

दिशा-निर्देश/कार्य-विधियां

वर्ष 2025-26 तक पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन

क. योजना का अवलोकन

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड की योजना "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (एसपीआईसीईडी)" को 2023-24 से 2025-26 तक पंद्रहवें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए एफ. संख्या 2/20/2020-प्लांट-डी, दिनांक 22.02.2024 के अनुसार मंजूरी दे दी है।

योजना की अवधि 2023-24 से 2025-26 तक होगी। स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी एवं बड़ी) के अनुसंधान, विकास एवं संवर्धन के साथ-साथ 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात हेतु निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु सक्षम निकाय है।

यह योजना इलायची (छोटी और बड़ी) के क्षेत्र का विस्तार करने और उत्पादकता में सुधार करने, फसलोत्तर सुधार के माध्यम से गुणवत्ता वाले मसालों का निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने, मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने, निर्यात टोकरी में मूल्यवर्धित मसालों की हिस्सेदारी बढ़ाने, गुणवत्ता और सुरक्षा के लागू मानकों के साथ निर्यात खेपों के अनुपालन का मूल्यांकन करने, हितधारकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास आदि के लिए तैयार की गई है। इस योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं जो स्पाइसेस बोर्ड के संचालन के व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र का समग्र विकास करना है।

प्रमुख योजना घटक हैं:

घटक	**नाम**
घटक 1	इलायची (छोटी और बड़ी) की उत्पादकता में सुधार
घटक 2	मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार
घटक 3	बाजार विस्तार के लिए क्षमता वृद्धि
घटक 4	व्यापार संवर्धन
घटक 5	तकनीकी हस्तक्षेप
घटक 6	अनुसंधान
घटक 7	क्षमता निर्माण और कौशल विकास
घटक 8	स्थापना

विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के कार्य-विधियां तैयार किए गए हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों के लिए पात्रता मानदंड, इकाई लागत और समर्थन की सीमा का वर्णन किया गया है। घटकों के अंतर्गत इमदाद/वित्तीय प्रोत्साहन बोर्ड के विभिन्न विभागों द्वारा गतिविधियों/लाभार्थियों के प्रकार के आधार पर वितरित किए जाएंगे। यह दस्तावेज़ 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप (स्पाइस्ड) योजना के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता के विभिन्न घटकों और उप-घटकों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए तैयार किया

गया है। जबकि योजना का समग्र कार्यान्वयन और निगरानी पूरे भारत में स्थित क्षेत्रीय/मंडल/फील्ड कार्यालयों के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा की जाएगी, निम्नलिखित नोडल अधिकारी घटकों और उप-घटकों के कार्यान्वयन की देखभाल करेंगे:

क्र. सं.	**घटक**	**नोडल अफ़सर**
1	घटक 1: में सुधार उत्पादकता इलायची (छोटी और बड़ी)	निदेशक विकास
2	घटक 2: मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन	निदेशक विकास
3	घटक 3: बाजार क्षमता बढ़ाने/विस्तार के लिए	निदेशक विपणन और निदेशक अनुसंधान (उप-घटक गुणवत्ता आश्वासन के लिए)
4	घटक 4: व्यापार पदोन्नति	निदेशक विपणन
5	घटक 5: तकनीकी हस्तक्षेप	निदेशक विपणन
6	घटक 6: अनुसंधान	निदेशक अनुसंधान
7	घटक 7: क्षमता निर्माण और कौशल विकास	निदेशक प्रशासन
8	घटक 8: स्थापना	निदेशक प्रशासन

योजना के घटकों और उप-घटकों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नोडल अधिकारी द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यात्मक सुविधा और व्यापार में आसानी के लिए दिशानिर्देशों में कोई भी परिवर्तन, जिसका कोई वित्तीय निहितार्थ न हो, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, वित्तीय निहितार्थ वाले परिवर्तन सचिव द्वारा वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से किए जाएँगे।

स्पाइसेस बोर्ड के सचिव की अध्यक्षता में योजना समन्वय एवं निगरानी समिति (एससीएंडएमसी) का गठन किया जाएगा, जिसमें योजना कार्यान्वयन विभाग के नोडल अधिकारी सदस्य होंगे। एससीएंडएमसी योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी। एससीएंडएमसी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक आधार पर बैठक करेगी। सचिव योजना के कार्यान्वयन और संबंधित पहलुओं की निगरानी करेंगे और आवश्यकतानुसार वाणिज्य विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

<u>ख. सामान्य दिशा-निर्देश</u>

1. योजना के विभिन्न उप-घटकों के कार्यान्वयन हेतु सभी सेवाएँ "सर्विसप्लस" https://serviceonline.gov.in/ (या) अनुदान प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) पोर्टल (या कोई अन्य पोर्टल जो सर्विस प्लस/जीएमएस पोर्टल का स्थान ले सकता है। इस दस्तावेज़ में सर्विस प्लस/जीएमएस पोर्टल के सभी संदर्भों का अर्थ ऐसे पोर्टल का भी संदर्भ होगा) पर ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएँगी और सभी भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएँगे। कोई भी भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा। आवेदन के सभी प्रारूप सर्विसप्लस/जीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छोटे उत्पादक आवेदक, या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्धारित सूक्ष्म/लघु आकार के आवेदकों की कोई अन्य श्रेणी, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें स्पाइसेस बोर्ड कार्यालयों में भौतिक आवेदन जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राप्ति की तिथि दर्शाने वाले भौतिक आवेदनों की प्रति बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आवेदनों के साथ रखी/अपलोड की जाएगी। इन आवेदनों को संबंधित स्पाइसेस बोर्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जबकि भौतिक आवेदन प्राप्ति की तिथि ही जमा करने की तिथि मानी जाएगी। ऐसे मामलों में सभी भुगतान भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएँगे।वित्तीय नियम 2017, सीवीसी दिशानिर्देश और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित और संशोधित सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय नियम 2017, सीवीसी दिशानिर्देश और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित और संशोधित सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

3. आवेदन/रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने से पहले आवेदक को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत लागू सभी आवश्यक वैधानिक अनुपालन/कानून/उपनियम प्राप्त करने होंगे और बोर्ड ऐसे अनुपालनों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सशर्त आवेदन/रुचि की अभिव्यक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

4. स्पाइसेस बोर्ड, यदि आवश्यक हो, तो विचाराधीन गतिविधि/घटक और गतिविधि के कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार, इलायची/मसाले उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श कर सकता है।

5. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत से 30 दिन पहले, योजनाओं की घोषणा स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) पर की जाएगी और आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण के साथ संचार के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट, सोशल मीडिया आदि सहित) के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। यदि 30-दिवसीय लीड समय के लिए कोई विचलन आवश्यक है, तो स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित विभाग/प्रभाग को विशिष्ट कारण बताते हुए सचिव से छूट प्राप्त करनी होगी। हालाँकि, योजना के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लीड समय अभी भी बनाए रखा जाना चाहिए।

6. योजना के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों का पालन भारत सरकार द्वारा बजट आवंटन के माध्यम से बोर्ड को प्रदान की गई धनराशि की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा।

7. किसी घटक और उसके उप-घटकों के तहत आवंटन का विवरण विभिन्न उप-घटकों के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले स्पाइसेस बोर्ड की सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सभी लाभार्थी आवेदनों का विवरण भी आवेदन प्राप्त करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद यथाशीघ्र स्पाइसेस बोर्ड के सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाएगा, तथा स्वीकृति/अस्वीकृति की स्थिति भी वेबसाइट पर अद्यतन की जाएगी।स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी विस्तृत योजना नियमों के साथ सामान्य कार्य-विधियां/दिशानिर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

8. लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले घटकों के लिए, पात्रता मानदंड, सहायता का स्तर, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, आवेदन जमा करने और उनकी जाँच करने की प्रक्रिया, धनराशि की स्वीकृति और वितरण के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें और अन्य शर्तें, आवश्यक प्रपत्रों और घोषणाओं सहित, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले विस्तृत योजना नियमों/विधियों में प्रदान की जाएँगी। ईएफसी ज्ञापन (ईएफसी की सिफारिशों और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के साथ पढ़ें) में उल्लिखित सहायता की दरें, लागत मानदंड, पात्रता और अन्य सभी शर्तों का स्पाइसेस बोर्ड द्वारा विस्तृत योजना नियमों/विधियों को जारी करते समय कड़ाई से पालन किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किए जाने तक इनमें कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

9. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी विस्तृत योजना नियमों सहित सामान्य कार्य-विधियां/दिशानिर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँगे।

10. योजना के संचालन की बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा समय-समय पर लेखा परीक्षा की जाएगी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

11. ऑनलाइन आवेदन/रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने से लेकर इमदाद के वितरण तक आवेदन की पूरी प्रक्रिया योजना अवधि (2023-24 से 2025-26) के भीतर पूरी कर ली जाएगी और इसे 31.03.2026 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

12. योजना निधि के वितरण से पहले पूर्ण किए गए कार्यों का सत्यापन व्यक्तिगत घटक /उप-घटक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा। जहाँ भी स्थानों का मानचित्रण किया जा सकता है, सभी योजना गतिविधियों के लिए जियो टैगिंग की जाएगी।

13. यदि आवेदक दिशानिर्देशों या बोर्ड के किसी भी निर्देश में निहित किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करता है या बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करता है या कोई गलत दावा करता है, तो बोर्ड को बोर्ड द्वारा दी गई सहायता की पूरी राशि की तुरंत मांग करने और उसे 15% प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ अदा करने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा। इसके अलावा, ऐसी संस्थाएं वसूली पूरी होने तक स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना के तहत सहायता के लिए भी अपात्र होंगी।

14. ऐसे व्यक्तियों के आवेदन, जो स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ या कोई दबाव डालते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जानबूझकर गलत/गलत जानकारी देकर, गलत बयानी करके और जानकारी छिपाकर लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों के खिलाफ लागू ब्याज सहित वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

15. योजना के नियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यक शर्तों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पिछले वर्षों में योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है।

16. आवेदन की स्वीकृति केवल आवेदन की जांच पूरी होने की पुष्टि है और आवेदक को योजना के तहत वित्तीय सहायता का हकदार नहीं बनाती है।

17. निधि के विवेकपूर्ण और समय पर वितरण के लिए, सचिव उसी घटक के भीतर और एक घटक से दूसरे घटक में निधि को अस्थायी रूप से पुनः आवंटित कर सकते हैं, जो वित्तीय वर्ष के लिए घटक के लिए अनुमोदित आवंटन से अधिक नहीं होगा।

18. जहाँ तक संभव हो, योजना घटक को उत्पादक समूहों जैसे छोटे उत्पादक समूहों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। सभी व्यक्तिगत आवेदकों को आधार और बैंक खाते के विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और सभी लेनदेन आधार आधारित होंगे। जबकि सामूहिक के लिए, भुगतान डीबीटी मोड पर होगा।

19. क्षेत्रीय कार्यालयों या क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किसी भी स्तर पर दिशानिर्देशों से कोई विचलन नहीं होने दिया जाएगा। योजना के घटकों और उप-घटकों के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के सचिव से मांगा जाएगा।

20. स्पाइसेस बोर्ड, प्रतिक्रिया और धन की उपलब्धता के आधार पर, एक या एक से अधिक बैचों में आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

21. स्पाइसेस बोर्ड, व्यापार संवर्धन घटक के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगा और वाणिज्य विभाग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

22. "भारतीय मसालों के उत्पाद एवं बाज़ार विकास तथा ब्रांडिंग" उप-घटक के अंतर्गत, जहाँ भी संभव

हो, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर भारतीय मसालों के लिए प्रचार अभियान चलाए जा सकते हैं। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा ऐसे संयुक्त प्रचार प्रस्तावों के मूल्यांकन और अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों (जिनकी विज्ञापन, विपणन और प्रचार में स्थापित साख और प्रतिष्ठा हो, जो मसाला क्षेत्र तक सीमित न हो) को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है।

ग. आवेदन प्राप्ति और जांच

1. सभी आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

2. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, एक आवेदन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन आईडी केवल आवेदन प्राप्ति की पुष्टि है और यह आवेदक को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्रता का हकदार नहीं बनाती है।

3. योजना के नियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और शर्तों के अनुसार आवेदन की जाँच की जाएगी और स्वीकृति/अस्वीकृति ऑनलाइन अपडेट की जाएगी।

4. ऐसे अनुपालन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों के अभाव में अपूर्ण किसी भी आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. जहाँ भी आवेदन स्वीकार करने से पहले निरीक्षण/क्षेत्र सत्यापन आवश्यक हो, ये निरीक्षण स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद, नागरिक चार्टर में उनके सेवा वितरण मानकों के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर किए जाएँगे। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन जियो टैग की गई तस्वीरें ली जाएँगी।

6. निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने, पात्रता मानदंडों और शर्तों की पूर्ति, और जमा किए गए दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, ऐसे आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन स्वीकृत के रूप में अपडेट की जाएगी। आवेदन की स्वीकृति केवल आवेदन की जांच पूरी होने की पुष्टि है तथा इससे आवेदक को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अधिकार नहीं मिलता।

घ. गतिविधि के पूरा होने की सूचना

1. प्रत्येक घटक के लिए योजना नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर, आवेदक को योजना नियमों के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, सहायक दस्तावेजों के साथ एक पूर्णता रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

2. पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त होने पर और जहाँ भी योजना नियमों के अनुसार लागू हो, स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, निरीक्षण का अगला चरण तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब उप-घटक के अंतर्गत बजट समाप्त न हुआ हो और बजट राशि के विरुद्ध सरकारी स्वीकृति जारी हो गई हो।

ङ. स्वीकृति/संवितरण करना

1. निरीक्षण रिपोर्ट (जहाँ लागू हो) और/या पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या तो सहायता हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी या आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और स्थिति ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। ऐसी स्वीकृति का अनुपालन वित्तीय वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के पास निधि की उपलब्धता के अधीन होगा।

2. लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का वितरण, नागरिक चार्टर में उनके सेवा वितरण मानकों के भाग के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड के पास निधि की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

****

च. योजना नियम/कार्य-विधियां

योजना घटक और उप घटक

घटक I: इलायची (छोटा और बड़ा) उत्पादकता में सुधार और
घटक II: मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन

1) ये कार्यक्रम संभावित मसाला उत्पादक क्षेत्रों में किसान समूहों जैसे एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस और व्यक्तिगत उत्पादकों पर केंद्रित होंगे। फसलोत्तर सुधार कार्यक्रमों के लिए समूहों/एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस आदि या उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहाँ समूहों/एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस आदि से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, वहाँ व्यक्तिगत उत्पादकों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

2) सहायता चाहने वाले किसान समूहों को पंजीकृत सोसायटी/एफपीसी/एफपीओ/एसएचजी/एसपीएस आदि जैसी कानूनी इकाई होना आवश्यक है तथा बोर्ड के साथ 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में एक समझौता करना होगा तथा सहायता जारी करना नीति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

3) क्यूजीबीजी के मामले में, किसान समूह बोर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध विक्रेताओं को फसलोत्तर उपकरणों की लागत का 10% भुगतान करेगा और मानक के अनुसार लागत सीमा के साथ 90% लागत का भुगतान बोर्ड द्वारा पैनलबद्ध विक्रेता को समूह के चिन्हित परिसर में उपकरण/यंत्र की सफल स्थापना पर बैंक खाते में हस्तांतरण के रूप में किया जाएगा, ताकि समूह द्वारा मशीनों/उपकरणों की खरीद में आसानी हो। यदि उपरोक्त व्यवस्था करने में किसी अप्रत्याशित तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है, तो समूह को पैनलबद्ध विक्रेता को 100% राशि का भुगतान करना होगा और समूह को पात्र सहायता पीएफएमएस के माध्यम से स्पाइसेस बोर्ड से प्रतिपूर्ति की जाएगी। समूह को पात्र सहायता केवल बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन के निष्पादन पर प्रदान की जाएगी।

4) किसी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी को सहायता केवल एक बार ही उपलब्ध होगी, सिवाय उन कार्यक्रमों के जहां दिशानिर्देशों में आगे की सहायता के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

क्र. स.	कार्यक्रम	आवश्यक दस्तावेज़	सहायता और पात्रता	क्षेत्र का संचालन और कार्य-विधियां
घटक -I	**इलायची (छोटी और बड़ी) की उत्पादकता में सुधार**			
1	इलायची (छोटी) की उत्पादकता में सुधार			
1.1.1	पुनःरोपण/नया रोपण (तमिलनाडु और केरल) (हेक्टेयर)	1. स्वामित्व का दस्तावेज़ (चालू वर्ष की कर रसीद/चिट्टा अडंगल) 2. इलायची पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआर)	सामान्य श्रेणी के लिए खेती की लागत का 33.33% अधिकतम 1,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर और लागत का 75%	बढ़ते समूहों सहित तमिलनाडु और केरल नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र मामलों की सिफारिश करेंगे।
		3.आधार कार्ड। 4.बैंक पासबुक की प्रति 5. वीओ/पंजीकृत सर्वेक्षक द्वारा जारी सर्वेक्षण योजना। 6. यह वचन कि जीएपी और जीएचपी को अपनाया जाए।	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 2,10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर खेती 50,000 रुपये और 1,05,000 रुपये की दो वार्षिक किस्तों में क्रमानुसार देय है। व्यक्तिगत पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 4 हेक्टेयर तक की भूमि है,	

			आवेदन करने के पात्र हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के तहत पुन: रोपण किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र एक सतत ब्लॉक में 0.10 हेक्टेयर है। अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति पात्र है। लाभार्थी तक सीमित प्रतिवर्ष 2 हेक्टेयर। पौधों की न्यूनतम संख्या 1100 प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। पुनर्रोपण चक्र 8 वर्ष माना जाता है। किसी लाभार्थी द्वारा दोबारा लगाए गए उसी क्षेत्र के लिए दूसरी बार लाभ पर केवल 8 वर्ष पूरे होने पर ही विचार किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं, विनाशकारी कीटों और बीमारी के हमलों जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित।	
1.1.2	पुनर्रोपण/पूर्वोत्तर रोपण (कर्नाटक और अन्य संभावित राज्य)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष कर प्राप्ति/अधिकारों, किरायेदारी और फसलों के दस्तावेज (आरटीसी) 2. आधार कार्ड। 3. बैंक पासबुक की प्रति (बैंक खाते का विवरण) 4. वीओ/पंजीकृत सर्वेक्षक द्वारा जारी सर्वेक्षण योजना 5. अन्य राज्य (राज्य द्वारा दस्तावेज)।	सामान्य श्रेणी के लिए खेती की लागत का 33.33 प्रतिशत अधिकतम 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और खेती की लागत का 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 1,68,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दो वार्षिक किस्तों में देय है। प्रत्येक वर्ष क्रमशः 37,500/- रुपये और 84,000/- रुपये। व्यक्तिगत पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 4 हेक्टेयर तक की भूमि है, आवेदन करने के पात्र हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत पुन: रोपण किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र क्या है? 0.10 हेक्टेयर एक सतत ब्लॉक में। अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति पात्र है लाभार्थी प्रतिवर्ष 2 हेक्टेयर तक सीमित। खेती की गई किस्म के आधार पर पौधों की आबादी लगभग 3000 प्रति हेक्टेयर (शुद्ध फसल) और 1500 अंतर-फसली वृक्षारोपण के लिए है। पुनर्रोपण चक्र 8 वर्ष माना जाता है। किसी लाभार्थी द्वारा दोबारा लगाए गए उसी	कर्नाटक और बढ़ते समूहों सहित संभावित राज्य। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र मामलों की सिफारिश करेंगे। चूसक रोपाई वाले को वरीयता दी जाएगी।

			क्षेत्र के लिए दूसरी बार लाभ पर केवल 8 वर्ष पूरे होने पर ही विचार किया जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं, विनाशकारी कीटों और बीमारी के हमलों जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित।	
1.2	गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन			
1.2.1	प्रमाणित नर्सरी के माध्यम से रोपण सामग्री उत्पादन (इकाइयाँ, 1 इकाई = 5000 रोपण सामग्री)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष कर रसीद/चित्त अदंगल/आरटीसी 2. सीआर (केरल के लिए) 3. आधार कार्ड 4. बैंक पासबुक की प्रति (बैंक खाता विवरण) 5. यह वचन कि जीएपी और जीएचपी को अपनाया जाए।	रोपण सामग्री के उत्पादन की लागत का 33.33 प्रतिशत, जो सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 4 रुपये प्रति चूसक/अंकुर और रोपण की उत्पादन लागत का 75 प्रतिशत है सामग्री @ 9 रुपये प्रति चूसक /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अंकुर। पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 4 हेक्टेयर तक की भूमि है और नर्सरी की सिंचाई की सुविधा है, वे इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। नर्सरियों में उत्पादित रोपण सामग्री का उपयोग आवेदकों द्वारा पुनर्रोपण/नए रोपण/गैप फिलिंग के लिए किया जाएगा और शेष राशि की आपूर्ति पड़ोसी/जरूरतमंद किसानों को बाजार से अधिक नहीं होने वाली इष्टतम कीमत पर की जाएगी।	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ते क्लस्टर शामिल हैं। इकाइयों का आवंटन किसके गुणक होंगे? न्यूनतम के साथ 500 1000 नंबर से अधिकतम 5000 संख्याएं। इमदाद का भुगतान रोपण के बाद के वर्ष में किया जाएगा।
1.2.2	विभागीय नर्सरी के माध्यम से रोपण सामग्री का उत्पादन	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।	उत्पादन लागत के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित नाममात्र दर पर रोपण सामग्री का वितरण। मसालों की खेती करने वाले इलायची उत्पादक/मसाला उत्पादक/अन्य एजेंसियां सुविधा प्रदान कर रही हैं।	बढ़ते समूहों सहित कर्नाटक। आवेदकों को रोपण आवंटित किया जाएगा नर्सरी से सामग्री की उपलब्धता और लागत के भुगतान पर।
1.3	जल स्रोतों का विकास और सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित			
1.3.1	जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण (संख्या)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष कर प्राप्ति/चित्त अदंगल/आरटीसी 2. सीआर (केरल के	सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 30,000 रुपये प्रति यूनिट के अधीन निर्माण की लागत का 50% और	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक बढ़ते समूहों सहित। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की

		लिए) 3. आधार कार्ड बैंक 4. पासबुक की प्रति (बैंक खाता विवरण) 5. सरकार द्वारा अनुमोदित दरों का पालन करने वाले पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर से योजना और निर्माण अनुमान।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति यूनिट के अधीन 75% होगा। कार्यक्रम के तहत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास भूमि का आकार है? 4 हेक्टेयर तक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।	सिफारिश करेंगे।
1.3.2	वर्षा जल संचयन संरचनाएं (संख्या)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष कर रसीद/चित्त अदंगल/आरटीसी 2. सीआर (केरल के लिए) 3. आधार कार्ड 4. बैंक पासबुक की कॉपी 5. अधिकृत डीलर से सिल्पॉलीन शीट (न्यूनतम 120 जीएसएम) के लिए कोटेशन या 3 प्रतिस्पर्धी कोटेशन यदि कोई अधिकृत डीलर नहीं है। 6. सिलपॉलिन शीट का जीएसटी चालान	निर्माण की लागत का 33.33 प्रतिशत सामान्य के लिए अधिकतम 18,000 रुपये प्रति संरचना और 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति संरचना अधिकतम 40,000 रुपये के अधीन होगा। सहायता सिलपॉलिन शीट के साथ पंक्तिबद्ध 200 घन मीटर क्षमता की संरचना के लिए होगी। कम क्षमता के लिए सहायता जल धारण क्षमता के अनुपात में सीमित होगी। पंजीकृत इलायची उत्पादकों के लिए जिनका 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत है, वे इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ते क्लस्टर शामिल हैं। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।
1.3.3	सिंचाई पंप सेट (संख्या)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष कर प्राप्ति/चित्त अदंगल/आरटीसी 2. सीआर (केरल के लिए) 3. आधार कार्ड 4. बैंक पासबुक की कॉपी 5. अधिकृत डीलर से कोटेशन या 3 प्रतिस्पर्धी कोटेशन यदि कोई अधिकृत डीलर नहीं है।	आईपी सेट-उपकरण की लागत का 50% अधिकतम 30,000 रुपये (जनरल) और उपकरण की 75% लागत अधिकतम 45000/- रुपये (एससी/एसटी) के अधीन है। 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ते क्लस्टर शामिल हैं। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।

1.3.4	सूक्ष्म सिंचाई/स्प्रिंकलर/आईसीटी सक्षम साधन (संख्या)	1. स्वामित्व का 2. दस्तावेज (वर्तमान वर्ष कर रसीद/चित्त अदंगल/आरटीसी 3. सीआर (केरल के लिए) 4. आधार कार्ड बैंक पासबुक की प्रति (बैंक खाता विवरण) 5. अधिकृत डीलर से कोटेशन या 3 प्रतिस्पर्धी कोटेशन यदि है कोई अधिकृत डीलर नहीं।	उपकरण की लागत का 50% अधिकतम 63,000/- रुपये (सामान्य) और 75% लागत अधिकतम 94500/– (एससी/एसटी) के अधीन उपकरण। 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ते क्लस्टर शामिल हैं। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।
1.4	इलायची (छोटी) (हेक्टेयर) के लिए मौसम आधारित बीमा	1. स्वामित्व का दस्तावेज 2. (चालू वर्ष कर प्राप्ति/चित्त दंगल/आरटीसी 3. सीआर (केरल के लिए) 4. आधार कार्ड 5. बैंक पासबुक की प्रति (बैंक खाता विवरण)	भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 75 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत, बोर्ड का हिस्सा क्या होगा? अधिकतम 16,040 रुपये/हेक्टेयर (जीएसटी सहित)। 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक पात्र हैं। यदि राज्य सरकार 10% का प्रीमियम साझा नहीं कर रही है, तो प्रीमियम के अपने हिस्से को 25% के रूप में लाभार्थियों द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।	केरल। आवेदन भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और दावे की प्रकृति के आधार पर किसानों को पात्र राशि जारी की जाएगी। बीमा की टर्म शीट आवेदन के समय बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। बोर्ड के साथ-साथ लाभार्थी किसान अपने हिस्से के प्रीमियम का भुगतान सीधे बीमा कंपनी को करेंगे। बीमा कंपनी और लाभार्थी के बीच दावों का निपटान किया जाएगा और स्पाइसेस बोर्ड की ऐसे मुद्दों पर कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी।
2.	इलायची की उत्पादकता में सुधार (बड़ा)			
2.1	पुनर्रोपण/नई रोपण	1. खुरंड स्वामित्व की प्रतिलिपि/कब्जे का प्रमाणपत्र/दस्तावेज। 2. सर्वेक्षण योजना/स्व-सत्यापित मानचित्र। 3. आधार कार्ड। 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (यदि लागू हो) 5. बैंक पासबुक की कॉपी 6. यदि भूमि लाभार्थी के नाम पर नहीं है तो पंचायतों/प्राधिकारी ग्राम प्रधान या परिषद/सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति	बड़ी इलायची की खेती की लागत का 33.33 प्रतिशत अधिकतम 33,600 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य श्रेणी और खेती की लागत का 75 प्रतिशत 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर क्रमश 16,800 रुपये और 37,500 रुपये प्रतिवर्ष की दो वार्षिक किस्तों में देय है। 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले व्यक्तिगत इलायची उत्पादक आवेदन करने के पात्र हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के तहत पुन: रोपण किया जाने वाला	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले के बडी इलायची उगाने वाले क्षेत्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और अन्य संभावित क्षेत्र। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।

		प्रमाणपत्र।	न्यूनतम क्षेत्र एक सतत ब्लॉक में 0.10 हेक्टेयर है। अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति पात्र है लाभार्थी तक सीमित प्रतिवर्ष 2 हेक्टेयर। आवश्यक न्यूनतम पौधों की आबादी 4000 प्रति हेक्टेयर है। पुनर्रोपण चक्र 8 वर्ष माना जाता है। किसी लाभार्थी द्वारा दोबारा लगाए गए उसी क्षेत्र के लिए दूसरी बार लाभ पर केवल 8 वर्ष पूरे होने पर ही विचार किया जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं, विनाशकारी कीटों और बीमारी के हमलों जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गठित समिति द्वारा प्रमाणित बोर्ड द्वारा।	
2.2	प्रमाणित नर्सरी के माध्यम से रोपण सामग्री उत्पादन (इकाइयाँ, 1 इकाई = 5000 रोपण सामग्री)	1. खुरंड कॉपी/कब्जे का प्रमाणपत्र/स्वामित्व का दस्तावेज। 2. सर्वेक्षण योजना/स्व-सत्यापित मानचित्र 3. आधार कार्ड 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति। 5. बैंक पासबुक की कॉपी 6. अनापत्ति पंचायतों से प्रमाणपत्र प्राधिकृत ग्राम प्रधान या परिषद/सक्षम प्राधिकारी यदि भूमि लाभार्थी के नाम पर नहीं है	सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 3 रुपये प्रति अंकुर के अधीन रोपण सामग्री के उत्पादन की लागत का 33.33% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रोपण सामग्री की उत्पादन लागत का 75% @ 6.75 रुपये प्रति अंकुर। बड़ी इलायची ऐसे उत्पादक जिनके पास 4 हेक्टेयर तक की भूमि हो और नर्सरी की सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि और सुविधा हो।	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और अन्य संभावित क्षेत्रों में इलायची उगाने वाले बड़े क्षेत्र। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे। इकाइयों का आवंटन किसके गुणक होंगे? 500 के साथ न्यूनतम 1000 नग। अधिकतम 5000 नग तक। प्रति लाभग्राही।
2.3	जल स्रोतों और सिंचाई का विकास (संख्या) और सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना।			
2.3.1	जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण (संख्या)	1. भूमि स्वामित्व का दस्तावेज़ या कानूनी कब्जा/परचा। 2. आधार कार्ड 3. बैंक पास बुक 4. निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दरों का पालन करते हुए योग्य पंजीकृत/ लाइसेंसधारी एसईडी या सरकारी सिविल	सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति यूनिट के अधीन निर्माण की लागत का 50% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति यूनिट के अधीन 75%। कार्यक्रम के तहत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और अन्य संभावित क्षेत्रों में इलायची उगाने वाले बड़े क्षेत्र। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।

		इंजीनियर से प्रस्तावित संरचना की योजना और अनुमान।	मीटर होनी चाहिए। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। चार हेक्टेयर तक की भूमि वाले बड़ी इलायची उत्पादक इसका लाभ उठाने के पात्र हैं।	
2.3.2	वर्षा जल संचयन संरचनाएं (संख्या)	भूमि के स्वामित्व या कानूनी कब्जे का दस्तावेज/पर्चा आधार कार्ड 120 जीएसएम सिलपॉलिन शीट के लिए बैंक पासबुक कोटेशन/जीएसटी चालान।	सामान्य के लिए प्रति संरचना अधिकतम 18,000/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 40,000/- रुपये प्रति संरचना के अधीन 75% निर्माण की गई है।4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले बडी इलायची उत्पादक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। वही होगी सहायता की संरचना के लिए 200 घन मीटर क्षमता सिल्पॉलिन शीट के साथ पंक्तिबद्ध है। कम क्षमता के लिए सहायता जल धारण क्षमता के अनुपात में सीमित होगी।	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और अन्य संभावित क्षेत्रों में इलायची उगाने वाले बड़े क्षेत्र। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।
2.3.3	सिंचाई उपकरण (आईसीटी समथत उपस्कर सहित) (संख्या)	1. भूमि का स्वामित्व दस्तावेज़ या कानूनी कब्जा/परचा। 2. आधार कार्ड 3. बैंक पास बुक 4. अधिकृत डीलर से कोटेशन या 3 प्रतिस्पर्धी कोटेशन यदि कोई अधिकृत डीलर नहीं है।	उपकरण की लागत का 50% सामान्य के लिए अधिकतम 15,000/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 22,500/- रुपये के अधीन 75%। 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले बडी इलायची उत्पादक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं।	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम और अन्य संभावित क्षेत्रों में इलायची उगाने वाले बड़े क्षेत्र। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करें।
2.4	इलायची (बड़ी) (हेक्टेयर) के लिए मौसम आधारित बीमा	1. भूमि स्वामित्व का दस्तावेज़ या कानूनी कब्जा/परचा। 2. आधार कार्ड 3. बैंक पासबुक की प्रति	भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 75 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत, बोर्ड का हिस्सा अधिकतम 16,040 रुपये/हेक्टेयर (जीएसटी सहित) होगा।	इलायची उगाने वाला बड़ा राज्य (सिक्किम)। आवेदन भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और दावे की प्रकृति के आधार पर किसानों को पात्र राशि

			0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले बडी इलायची उत्पादक पात्र हैं। यदि राज्य सरकार 10% का प्रीमियम साझा नहीं कर रहा है, इसकी भरपाई लाभार्थियों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से को 25% के रूप में करने के लिए की जानी है।	जारी की जाएगी। बीमा की टर्म शीट आवेदन के समय बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी ।बोर्ड के साथ-साथ लाभार्थी किसान अपने हिस्से के प्रीमियम का भुगतान सीधे बीमा कंपनी को करेंगे। बीमा कंपनी के बीच क्लेम का निपटान किया जाएगा और लाभार्थी और स्पाइसेस बोर्ड के पास कोई ऐसे मुद्दों पर प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी।
घटक -II	**मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता में सुधार**			
1	चिन्हित क्लस्टरों में समूहों द्वारा कटाई उपरांत सुधार के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित मसालों का मिशन।			
1.1	केसर उत्पादन निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) कार्यक्रम			
1.1.1	नियंत्रित खेती के तहत केसर की खेती को बढ़ावा देने पर पायलट परियोजना।	राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा परियोजना प्रस्तावों के आधार पर	नियंत्रित स्थिति में केसर की खेती के लिए पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित के आधार पर सहायता दी जाएगी एसपीईडीए द्वारा सिफारिशें और निधियों की उपलब्धता 1.50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा	कश्मीर के भगवा के विकास के लिए। कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के चिन्हित समूहों में लागू किए जाएंगे। के आधार पर स्पेडा द्वारा सिफारिशें।
1.1.2	एफपीओ स्तर पर लघु प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और निर्यातकों के साथ जुड़ाव।	1. किसानों की सूची के साथ एफपीओ/एफपीसी के पंजीकरण विवरण। 2. परियोजना की डीपीआर। 3. नीति आयोग आइडी (नगो दर्पण) 4. बैंक पासबुक की प्रति 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण 6.राज्य कृषि से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट विश्वविद्यालय।	एसपीईडीए की सिफारिशों और 0.50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन धन की उपलब्धता के आधार पर एफपीओ स्तर पर मिनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी।	कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के चिन्हित समूहों में लागू किए जाएंगे। के आधार पर स्पेडा द्वारा सिफारिशें।

1.1.3	जम्मू-कश्मीर से केसर पर भौगोलिक संकेत को बढ़ावा देना	1. किसानों की सूची के साथ एफपीओ/एफपीसी के पंजीकरण विवरण। 2. परियोजना की डीपीआर। 3. नीति आयोग आइडी (नगो दर्पण) 4. बैंक पासबुक की प्रति 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण 6. की प्रति जीआई का अधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र।	एसपीईडीए की सिफारिशों और धन की उपलब्धता के आधार पर एफपीओ/एफपीसी के लिए जीआई को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाएगी, जो 0.50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन होगी	कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के चिन्हित समूहों में लागू किए जाएंगे। के आधार पर स्पेडा द्वारा सिफारिशें।
1.1.4	नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना फसल कटाई के बाद का प्रबंधन।	1. किसानों की सूची के साथ एफपीओ/एफपीसी के पंजीकरण विवरण। 2. परियोजना की डीपीआर। 3. नीति आयोग आइडी (नगो दर्पण)। 4. बैंक पासबुक की कॉपी। 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण। 6. राज्य कृषि से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट विश्वविद्यालय।	नवाचार को अपनाने के लिए एफपीओ को सहायता दी जाएगी एसपीईडीए की सिफारिशों के आधार पर फसल कटाई के बाद का प्रबंधन और 0.50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन धन की उपलब्धता	इन कार्यक्रमों को चिन्हित समूहों में लागू किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के आधार पर स्पेडा द्वारा सिफारिशें।
1.1.5	बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मेलों/केसर महोत्सव का आयोजन	आवेदन के आधार पर प्रस्ताव के साथ।	कश्मीर केसर को बढ़ावा देने के लिए केसर महोत्सव/मेलों के आयोजन हेतु सहायता एसपीईडीए की सिफारिशों और 0.50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन निधियों की उपलब्धता के आधार पर।	कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के चिन्हित समूहों में लागू किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के आधार पर स्पेडा द्वारा सिफारिशें।
1.2	क्यूजीबीजी (क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप) (समूह की संख्या) प्रति मसाला उत्पादक समूहों/एफपीसी/एफपीओ के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये की सहायता			
1.2.1.क	फसल-उपरान्त मशीन/उपकरण बैंक: फसल-उपरान्त मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना।	1. परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन। 2. किसानों की सूची के साथ एसपीएस/एफपीओ/एफपीसी का पंजीकरण विवरण। 3. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 4. बैंक पासबुक की प्रति 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण 6. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा	अधिकतम 23.5 लाख रुपये प्रति मसाला उत्पादक समूह/एफपीओ/एफपीसी, अधिकतम 90 प्रतिशत अधिकतम सीमा के साथ निम्नानुसार है: क) सीड स्पाइस थ्रेशर: अधिकतम रु.1,35,000/- ख) पेपर थ्रेशर: 34,000 रुपये ग) हल्दी बॉयलर: 3,38,000	1. मसाला उत्पादक समूहों के लिए सहायता केवल दो के लिए होगी। मसाला उत्पादक समूहों के सदस्यों के बीच उपयोग के लिए फसल कटाई पश्चात सुधार कार्यक्रम के प्रत्येक उप-घटक के अंतर्गत मशीनें/उपकरण स्थापित किए जाते हैं। बोर्ड

		नामांकित निर्माता के कोटेशन । 7. एफपीओ/एफपीसी की गतिविधियों पर रिपोर्ट। 8. पदाधिकारियों की सूची। 9. पंजीकृत कार्यालय और उसके कार्य के साथ स्थान पर दस्तावेज़। 10. मसालों के तहत उनके क्षेत्र और अनुमानित के साथ सक्रिय सदस्यों की सूची 11. मौसम के लिए प्रत्येक मसाले का उत्पादन। 12. निर्यातक के साथ मौजूदा पुनर्खरीद व्यवस्था का विवरण। स्पाइसेस बोर्ड से आवेदन की गई सहायता के लिए किसी भी स्रोत से प्राप्त किसी भी पूर्व सहायता का विवरण। 13. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज।	रुपये/ घ) मसाला पॉलिशर 1,70,000 रुपये/ ङ) पुदीना आसवन इकाइयाँ 3,38,000/- रुपये च) पत्ती/हर्बल मसाला आसवन इकाइयाँ: रु.6,30,000/- छ) स्पाइस क्लीनर/ग्रेडर/सर्पिल ग्रेविटी सेपरेटर 80,000/- रुपये। ज) स्पाइस वाशिंग इक्विपमेंट का रु.95,000/- झ) स्पाइस स्लाइसिंग मशीन 16,000/- रुपये ञ) स्पाइस डेहुलर्स 90,000/- रुपये। ट) मसालों के लिए नवीनतम कटाई के बाद के उपकरण (इमली डी-सीडर, लहसुन ग्रेडर आदि): 1,50,000 रुपये, ठ) स्पाइस ड्रायर 67,500/- रुपये (ड) स्वच्छ और स्वच्छ सतहों (सिलपॉलिन/ तिरपाल) पर मसालों को सुखाना: 4000/- रुपये प्रति शीट। (ढ) 18,000 रुपये के निर्यात के लिए मसालों का बुनियादी गुणवत्ता परीक्षण। (ण) एफपीओ और मार्केट यार्ड के लिए सुखाने वाले प्लेटफॉर्म रु.1,00,000/-.	के कार्यक्रम के तहत प्राप्त मशीनों/ उपकरणों का संरक्षक। स्पाइस प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स के नामित पदाधिकारी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना मसाला उत्पादक समूहों में एफपीओ/एफपीसी/एस पीएस के लिए की गई है। फॉरवर्ड मार्केट निर्यातकों के साथ संबंध। विभिन्न मौजूदा कार्यक्रमों जैसे ओडीओपी, डीईएच आदि के तहत मसालों के लिए लगभग 275 क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं। यह कार्यक्रम ऐसे समूहों के साथ-साथ निर्यात मांग के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पहचाने गए समूहों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2. आवेदन के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी समूह के पंजीकृत कार्यालय का दौरा करेंगे और गतिविधि शुरू करने के लिए समूह के पास उपलब्ध स्थिति, सुविधा और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे। योग्य आवेदन को आगे की जांच के लिए मंडल अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी को सिफारिश की जाएगी और बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए समूह को अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। सिफारिश करने वाला अधिकारी खरीद के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों के संग्रह की व्यवस्था करेगा, उपकरण/उपकरण की स्थापना को भौतिक रूप से सत्यापित करेगा और सहायता मंजूरी के लिए पात्र मामलों की सिफारिश करेगा। यदि प्रति समूह सहायता की राशि एक

				बार में 15 लाख रुपये से अधिक है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी सिफारिश एक समिति द्वारा की जानी चाहिए।
1.2.1.ख	दूरदराज के क्षेत्रों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/हाशिये पर समुदायों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्र के किसानों के लिए कटाई उपरांत मशीनरी			
1.2.1.ख.1	बीज मसाला थ्रेशर	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन। च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज के वैध निर्माता से खरीद के लिए उपकरण।	जनरल: 50% से एक अधिकतम रु.75,000/- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति:75% से अधिकतम 1,12,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	बीज मसाला उगाने वाला राज्य/उत्पादन केंद्र/निर्यात केंद्र।
1.2.1.ख.2	काली मिर्च थ्रेशर	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन। च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	जनरल: 50% से अधिकतम रु.19,000/- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति : 75% से अधिकतम 28,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाले उत्पादकों की न्यूनतम 100 किसानों की जोत 4 हेक्टेयर तक हो और उनके पास न्यूनतम 100 किसान हों। काली मिर्च की बेलें देने वाले लोग इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी काली मिर्च उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/निर्यात केंद्र।

1.2.1.ख.3	हल्दी बॉयलर	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़/पर्ची प्रति/भूमि का कानूनी कब्ज़ा प्रमाणपत्र ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन। च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड	सामान्य: 50% से अधिकतम 1,88,000/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 2,82,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी हल्दी उत्पादन केन्द्र/प्रमुख निर्यात केन्द्रों में चिन्हित क्लस्टर।
1.2.1.ख.4	मसाले पॉलिश करने वाले	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्ची की प्रति/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) चालू वर्ष के भूमि कर भुगतान की रसीद। ग) आधार कार्ड घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन। च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड	सामान्य: 50% से अधिकतम 94,000/- रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 1,41,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी मसाला उत्पादक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र/उत्पादन केंद्र/प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर।
1.2.1.ख.5	टकसाल आसवन इकाइयाँ	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़/पर्ची प्रति/ कानूनी भूमि का कब्ज़ा प्रमाणपत्र। ख) चालू वर्ष की भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड. घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड	जनरल: 50% से अधिकतम रु.1,88,000/- और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति: 75% से एक अधिकतम रु. 2,82,000/- 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी टकसाल उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/चिह्नित प्रमुख निर्यात केंद्रों में क्लस्टर।
1.2.1.ख.6	पत्ती/हर्बल मसाला आसवन इकाइयाँ:	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्ची की प्रति/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड।	जनरल: 50% से एक अधिकतम रु. 3,50,000/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित	प्रमुख निर्यात/उत्पादन केंद्रों में समूहों की पहचान की गई।

		घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र छ) उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध	जनजाति: 75% से अधिकतम 5,25,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	
1.2.1.ख.7	स्पाइस क्लीनर ग्रेडर/सर्पिल गुरुत्वाकर्षण विभाजक	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज छ) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद।	जनरल: 50% से अधिकतम रु. 44,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 66,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इसके तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं प्रोग्राम।	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/ प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर।
1.2.1.ख.8	मसाला धोने के उपकरण	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	जनरल: 50% से अधिकतम रु. 53,000/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम रुपये 79,500/- 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/ प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर।
1.2.1.ख.9	मसाला स्लाइसिंग मशीनें	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध	जनरल: 50% से एक अधिकतम रु.9,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 13,500/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/ प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर।

		उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	
1.2.1.ख.10	स्पाइस डेहुलर्स	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख)वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	जनरल: 50% से एक अधिकतम रु.50,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 75,000/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/ प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर।
1.2.1. ख.11	नवीनतम कटाई के बाद उपकरण' (इमली डी-सीडर, लहसुन ग्रेडर आदि)	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख)वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	जनरल: 50% से एक अधिकतम रु. 83,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 1,24,500/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर
1.2.1.ख.12	मसाला सुखाने वाले	क) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। ख) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। ग) आधार कार्ड। घ) बैंक पासबुक। ङ) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन च) एससी/एसटी प्रमाणपत्र। छ) इनवॉइस, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए स्पाइसेस बोर्ड।	जनरल: 50% से अधिकतम रु. 37,500/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 56,250/- रुपये 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त	सभी मसाला उत्पादक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश/उत्पादन केंद्र/प्रमुख निर्यात केंद्रों में चिन्हित क्लस्टर

			करने के पात्र हैं।	
1.2.2	अच्छी कृषि पद्धतियों के लिए भूखंड की स्थापना (जीएपी)	1. परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन। 2. किसानों की सूची के साथ एसपीएस/एफपीओ/एफपीसी का पंजीकरण विवरण, 3. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 4. बैंक पासबुक की प्रति 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण और प्रस्तावित प्रदर्शन भूखंड का स्केच मानचित्र। 6. एफपीओ/एफपीसी की गतिविधियां पर रिपोर्ट । 7. पदाधिकारियों की सूची। 8. पंजीकृत कार्यालय और उसके स्थान के साथ कार्य पर दस्तावेज़। 9. सक्रिय सदस्यों की सूची, उनके मसालों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और मौसम के लिए प्रत्येक मसाले के अनुमानित उत्पादन। 10. निर्यातक के साथ मौजूदा बायबैक व्यवस्था का विवरण, यदि कोई हो, तो उसका उल्लेख किया जाए। 11. स्पाइसेस बोर्ड से आवेदित सहायता के लिए किसी भी स्रोत से प्राप्त पूर्व सहायता का विवरण। 12. फसल विवरण, अपनाई गई खेती पद्धतियाँ, उपयोग किए गए इनपुट आदि को दर्शाने वाली फार्म डायरी की प्रति।	04 हेक्टेयर के भूखंड आकार के लिए 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 50,000/- रुपये प्रति प्लॉट प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम रु.1,50,000/- प्रति एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस का भुगतान। सहायता, मसाले की खेती की मानक लागत और जीएपी का प्रदर्शन पर आधारित होगी।	सभी मसाला उत्पादक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जीएपी को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से मसाला उत्पादक समूहों में एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है, जैसा कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्यात मांग के अनुसार निर्धारित किया गया है। आवेदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव और दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित अधिकारी डेमो प्लॉट के प्रस्तावित स्थान का दौरा करेंगे और लेने से पहले समूह के प्रस्ताव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेंगे। पात्र आवेदन को आगे की जांच के लिए संभागीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी को अनुशंसित किया जाएगा और समूह को बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अनुमति आदेश जारी किया जाएगा। प्रदर्शन भूखंड की स्थापना के बाद, संबंधित अधिकारी खेती की वास्तविक लागत और सहायक दस्तावेजों के आधार पर सहायता की अनुशंसा करेगा।
1.2.3	एफपीओ/क्यूजी बीजी स्तर प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन।	1. परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन। 2. किसानों की सूची के साथ एसपीएस/एफपीओ/एफपीसी का पंजीकरण विवरण, 3. नीति आयोग आईडी (एनजीओ	लघु पैमाने पर प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट/मूल्यवर्धन इकाई की स्थापना	1. एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस के लिए सहायता लघु स्तर की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई/मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना

		दर्पण) 4. बैंक पासबुक की प्रति 5. भूमि दस्तावेजों का प्रमाण 6. निर्माता से प्रतिस्पर्धी कोट्स। 7. एफपीओ/एफपीसी की गतिविधियों पर रिपोर्ट। 8. पदाधिकारियों की सूची। 9. पंजीकृत कार्यालय और उसके कार्य के साथ स्थान पर दस्तावेज़। 10. मसालों के तहत अपने क्षेत्र के साथ सक्रिय सदस्यों की सूची और मौसम के लिए प्रत्येक मसाले का अनुमानित उत्पादन। 11. निर्यातक के साथ मौजूदा पुनर्खरीद व्यवस्था का विवरण। 12. स्पाइसेस बोर्ड से आवेदन की गई सहायता के लिए किसी भी स्रोत से प्राप्त किसी भी पूर्व सहायता का विवरण। 13. परमिट आदेश के अनुसार उपकरण/उपकरणों के निर्माता से खरीद के लिए चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज।	लागत के लिए प्रति एफपीओ/एफपीसी/एसपी के लिए अधिकतम 15,00,000/- रुपये की 90% सहायता। सहायता विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पर आधारित होगी।	लागत के लिए होगी। बोर्ड के कार्यक्रम के तहत प्राप्त इकाई का संरक्षक आवेदक का नामित पदाधिकारी होगा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना एफपीओ/एफपीसी/एसपीएस के लिए वायदा बाजार वाले मसाला उत्पादक समूहों में की गई है। निर्यातकों के साथ संबंध। 2. प्रस्ताव और दस्तावेजों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी आवेदक के पंजीकरण कार्यालय का दौरा करेगा और इकाई की स्थापना के लिए व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेगा। योग्य आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा परमिट पत्र के लिए आगे की जांच और अनुमोदन के लिए मंडल अधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी को सिफारिश की जाएगी। अनुमति पत्र जारी होने के बाद, सिफारिश करने वाला अधिकारी समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था करेगा। इकाई की स्थापना पर समिति इकाई में दस्तावेजों (खरीद का प्रमाण, भुगतान का प्रमाण आदि) और मशीनरी को भौतिक रूप से सत्यापित करेगी। समिति स्वीकृति प्राधिकारी को पात्र सहायता की सिफारिश करेगी।

1.3	छोटी इलायची के लिए बेहतर इलाज उपकरण (संख्या)	1. स्वामित्व का दस्तावेज (चालू वर्ष का रसीद/चित्त अदंगल) 2. इलायची पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआर) 3. आधार कार्ड। 4. बैंक पासबुक। 5. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से कोटेशन 6. एससी/एसटी प्रमाणपत्र। 7. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध निर्माता से खरीद के लिए चालान, ई-वे बिल और भुगतान दस्तावेज।	जनरल: 33.33% से अधिकतम रु. 1,50,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति: 75% से अधिकतम 3,37,500/- रुपये समूहों/एफपीओ के लिए 90% अधिकतम 4,00,000/- रुपये के अधीन 0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले उत्पादक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। समूहों/एफपीओ/ एफपीसी के लिए, क्यूजीबीजी कार्यक्रम के अनुसार पात्रता मानदंड।	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक मसाले सहित निर्यातकों के साथ अग्रेषित बाजार संबंध रखने वाले बढ़ते क्लस्टर। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।
1.4	बडी इलायची ड्रायर (संशोधित भट्टी, सॉवड्रायर, आदि) (संख्या)	1. भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज और/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। 2. आधार कार्ड। 3. बैंक पासबुक। 4. निर्माता से उद्धरण/अनुमान। 5. एससी/एसटी प्रमाणपत्र। 6. उपकरण/उपकरण के निर्माता से खरीद के लिए चालान और भुगतान दस्तावेज। 7. पंचायतों/प्राधिकृत ग्राम प्रधान या परिषद/सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र यदि भूमि लाभार्थी के नाम पर नहीं है।	पश्चिम बंगाल के एनई/एससी/एस टी और कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के लिए 75 प्रतिशत और समूहों/एफपीओ के लिए 90 प्रतिशत अधिकतम सीमा: क. पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिला: - 0.10 हेक्टेयर से 0.40 हेक्टेयर तक के इलायची उत्पादक 200 किलोग्राम क्षमता की भट्टी या सिंगल डोर सावो/समकक्ष	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित इस क्षेत्र के मसाला उगाने वाले क्लस्टर निर्यातकों के साथ वायदा बाजार संपर्क। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।

			ड्रायर=30,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। 0.4 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर तक के इलायची उत्पादक 400 किलोग्राम क्षमता की भट्टी या डबल डोर सावो/समकक्ष ड्रायर = 45,000/- रुपये का लाभ उठा सकते हैं। ख. समूह/एफपीओ: 200 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या सिंगल डोर सावो/समकक्ष ड्रायर = 36,000/- रुपये और 400 किलोग्राम क्षमता वाली भट्टी या डबल डोर सावो/समकक्ष ड्रायर = 54,000/- रुपये के लिए समूहों/एफपीओ/ एफपीसी के लिए, क्यूजीबीजी कार्यक्रम के अनुसार पात्रता मानदंड का लाभ उठा सकते हैं।	
1.5	बड़ी इलायची के लिए बेहतर इलाज उपकरण (संख्या)	1. भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा कॉपी/भूमि का कानूनी कब्जा प्रमाणपत्र। 2. आधार कार्ड। 3. बैंक पासबुक। 4. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा नामांकित निर्माता से उद्धरण 5. एससी/एसटी प्रमाणपत्र। 6. चालान, ई-वे बिल और भुगतान। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध उपकरण/उपकरण के वैध विनिर्माता से खरीद के लिए दस्तावेज। 7. पंचायतों/प्राधिकृत ग्राम प्रधान या	पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के लिए 75 प्रतिशत और समूहों/एफपीओ के लिए 90 प्रतिशत अधिकतम सीमा:	पश्चिम बंगाल के सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले, क्षेत्र के मसाला उगाने वाले समूहों सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का निर्यातकों के साथ बाजार से संपर्क है। नामित अधिकारी निरीक्षण करेंगे और पात्र इमदाद की सिफारिश करेंगे।

		परिषद/सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र यदि भूमि लाभार्थी के नाम पर नहीं है।	पश्चिम बंगाल के एनई/एससी/एस टी और कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले = 3,75,000/- रुपये समूह/एफपीओ = 4,50,000/- रुपये, समूहों/एफपीओ/ एफपीसी के लिए, क्यूजीबीजी कार्यक्रम के अनुसार पात्रता मानदंड।	
1.6	मसाले संवर्धन के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए समावेशी विकास (सुगंधश्री)			
1.6.1	वन आश्रित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों/गांवों को सहायता क) मसालों के मूल्यवर्धन के लिए मसाला उत्पादन और मिनी प्रसंस्करण इकाइयां। बी) मॉडल मसाला उद्यान की स्थापना और क्षमता निर्माण के लिए संबद्ध गतिविधियों का संचालन मसालों की खेती।	राज्य विभाग से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के आधार पर।	क) 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना 15 लाख रुपये तक सीमित है। ख) प्रति परियोजना 3.5 लाख रुपये।	इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसालों की खेती करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना है और उन्हें प्राथमिक विक्रेताओं से उद्यमियों में बदलना है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का उत्थान हो सके। निर्यातकों के साथ वायदा बाजार संपर्क रखने वाले मसाला उत्पादक समूहों से प्रत्येक उप-घटक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को अधिकतम सीमा के साथ सहायता प्रदान करने के लिए वास्तविक/परियोजना प्रस्ताव पर आधारित सहायता।

1.6.2	आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केवीके/आईसीआरआई/समान संस्थानों के	मूल्य संवर्धन, जैव-एजेंट उत्पादन और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकतम राशि 30 प्रतिभागियों के बैच के लिए 3 दिनों के लिए 2	

	माध्यम से क्षमता निर्माण (संख्या)		लाख रुपये/कार्यक्रम तक सीमित है।	
1.7	पूर्वोत्तर से जीआई टैग और अन्य मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना।	1. पर्चा प्रति/कब्ज़ा प्रमाणपत्र/स्वामित्व का दस्तावेज़। 2. सर्वेक्षण योजना/स्व-सत्यापित मानचित्र। 3. आधार कार्ड। 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (यदि लागू हो) 5. बैंक पासबुक की प्रति। 6. यदि भूमि लाभार्थी के नाम पर नहीं है तो पंचायत/प्राधिकृत ग्राम प्रधान या परिषद/सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र।	रोपण सामग्री की लागत का 50%, अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। 0.10 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।	पूर्वोत्तर राज्यों के मसाला उत्पादक क्षेत्र, जिनमें मसाला क्लस्टर भी शामिल हैं, जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संपर्क है।
2	जैविक, भारतीय, प्राकृतिक खेती आदि जैसे सतत उत्पादन और प्रमाणन प्रणालियों को बढ़ावा देना।			
2.1	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) (समूहों की संख्या)	1. एसपीएस/एफपीओ/एफपीसी का पंजीकरण विवरण 2. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 3. बैंक पासबुक की प्रति 4. भूमि प्रमाणपत्र 5. प्रमाणन निकाय (सीबी) का टैरिफ और प्रमाणन के लिए अनुमान 6. कार्यक्षेत्र प्रमाणपत्र की प्रति, अनुलग्नकों सहित 7. सीबी द्वारा अनुमोदित किसानों और क्षेत्र की सूची 8. सीबी द्वारा चालान 9. आईसीएस प्रबंधक द्वारा प्रमाणित और अधिदेशक या सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, जैसा भी मामला हो, मौसम के लिए आईसीएस के आयोजन की लागत, व्यय के प्रमाण जैसे बिल, वाउचर आदि के साथ।	अन्य एनईआर समूहों के लिए 50%, अधिकतम 1,12,000/- रुपये और एनईआर समूहों के लिए 75%, अधिकतम 1,68,000/- रुपये। आईसीएस घटक में निधियों की उपलब्धता के अनुसार लगातार तीन वर्षों तक या चरणों में सहायता के लिए पात्र है। पात्रता: जैविक मसाले उत्पादक समूह, जिसमें अनुमोदित सूची में एफपीओ/एफपीसी के 50% से	1. मसाला उत्पादक क्लस्टर जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संबंध है। 2. बोर्ड सहायता प्रदान करने से पहले या बाद में अभिरक्षा श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर कोई भी जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

			अधिक सदस्य जैविक मसालों के उत्पादक हों।	
2.2	जैविक समूह प्रमाणन (समूह)	1. एसपीएस/एफपीओ का पंजीकरण विवरण 2. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 3. बैंक, पासबुक की प्रति। 4. भूमि अभिलेख का प्रमाण। 5. प्रमाणन निकाय (सीबी) का टैरिफ और प्रमाणन के लिए अनुमान। 6. संलग्नक सहित स्कोप प्रमाणपत्र की प्रति। 7. सीबी द्वारा अनुमोदित किसानों की सूची। 8. सीबी द्वारा चालान।	अन्य एनईआर समूहों के लिए 50%, अधिकतम 1,50,000/- रुपये और एनईआर समूहों के लिए 90%, अधिकतम 2,70,000/- रुपये। पात्रता: जैविक मसालों का उत्पादन करने वाला समूह, जिसकी अनुमोदित सूची में एफपीओ/एफपीसी के 50% से अधिक सदस्य जैविक मसालों के उत्पादक हैं। यह सहायता घटक में निधियों की उपलब्धता के अनुसार लगातार तीन वर्षों के लिए या चरणों में दी जाएगी।	1. मसाला उत्पादक क्लस्टर जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संबंध है। 2. बोर्ड का सहायता प्रदान करने से पहले या बाद में अभिरक्षा श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर कोई भी जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।
2.3	उत्पादन में इंडगैप एवं अन्य सतत प्रमाणन (समूह प्रमाणन)	1. एसपीएस/एफपीओ/एफपीसी का पंजीकरण विवरण 2. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 3. बैंक, पासबुक की प्रति। 4. भूमि अभिलेख का प्रमाण। 5. प्रमाणन निकाय (सीबी) का टैरिफ और प्रमाणन के लिए अनुमान। 6. संलग्नक सहित स्कोप प्रमाणपत्र की प्रति। 7. सीबी द्वारा अनुमोदित किसानों की सूची।	प्रमाणन की लागत का 90%, अधिकतम 1,12,500/- रुपये प्रति समूह।	1. मसाला उत्पादक क्लस्टर जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संबंध है। 2. बोर्ड का सहायता प्रदान करने से पहले या बाद में अभिरक्षा श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर कोई भी जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।

		8. सीबी द्वारा चालान।		
2.4	इंडगैप और अन्य स्थायी प्रणालियों के अंतर्गत प्रमाणन हेतु समूह का रखरखाव।	1. एसपीएस/एफपीओ का पंजीकरण विवरण 2. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 3. बैंक पासबुक की प्रति 4. भूमि प्रमाणपत्र 5. प्रमाणन निकाय (सीबी) का टैरिफ और प्रमाणन के लिए अनुमान 6. अनुलग्नकों के साथ कार्यक्षेत्र प्रमाणपत्र की प्रति 7. प्रमाणन निकाय द्वारा अनुमोदित किसानों की सूची 8. प्रमाणन निकाय द्वारा चालान 9. प्रबंधक द्वारा प्रमाणित और अधिदेशकर्ता या सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, जैसा भी मामला हो, मौसम के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के आयोजन की लागत, व्यय के प्रमाण जैसे बिल, वाउचर आदि के साथ।	समूह के रखरखाव की लागत का 90%, अधिकतम 54000/- रुपये प्रति समूह।	1. मसाला उत्पादक समूहों का निर्यातकों के साथ अग्रिम बाज़ार संबंध है। 2. बोर्ड का सहायता प्रदान करने से पहले या बाद में अभिरक्षा श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर जाँच करने का अधिकार सुरक्षित है।
2.5	खेतों पर खाद का उत्पादन (संख्या)	1) भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज/पर्चा प्रति/भूमि का कानूनी कब्ज़ा प्रमाणपत्र। 2) वर्तमान वर्ष भूमि कर भुगतान रसीद। 3) आधार कार्ड। 4) समूहों के लिए बैंक पासबुक। 1. एसपीएस/एफपीओ के लिए पंजीकरण विवरण 2. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 3. आधार कार्ड कार्ड. 4. बैंक, पासबुक की प्रति। 5. भूमि स्वामित्व का प्रमाणपत्र/वर्तमान वर्ष की कर	सामान्य वर्ग के लिए 50%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75% और समूह एफपीओ के लिए 90%, अधिकतम सीमा (सामान्य = 10,000 रुपये; पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति =	मसाला उत्पादक क्षेत्र/क्लस्टर जिनका निर्यातकों के साथ अग्रिम बाजार संपर्क है।

		रसीद।	15,000 रुपये; एफपीओ/एसएचजी/एफआईजी/मसाला समितियां = 18,000 रुपये) वर्मीकम्पोस्ट इकाई का निर्माण आकार 2.7 मीटर x 0.9 मीटर x 0.9 मीटर होगा और दो चक्रों में एक टन उत्पादन क्षमता होगी। मसाला उत्पादकों के पास 0.10 हेक्टेयर से 4.00 हेक्टेयर तक की भूमि है।	
2.6	आईपीएम/जीएपी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर एफपीओ के लिए देखभाल केंद्र।	1. परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन। 2. एसपीएस/एफपीओ का पंजीकरण विवरण 3. नीति आयोग आईडी (एनजीओ दर्पण) 4. बैंक, पासबुक की प्रति। 5. भूमि अभिलेख का प्रमाण.	आईपीएम/जीएपी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए, देखभाल केंद्र की स्थापना की लागत और अधिकृत स्रोतों से प्राप्त इनपुट के लिए एफपीओ/एफपीसी को सहायता प्रदान करने हेतु अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर देखभाल केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एफपीओ/एफपीसी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आधार पर अधिकतम	मसाला उत्पादक समूहों का निर्यातकों के साथ अग्रिम बाज़ार संपर्क है। बोर्ड का सहायता प्रदान करने से पहले या बाद में अभिरक्षा श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर जाँच करने का अधिकार सुरक्षित है।

			सहायता 2,00,000/- रुपये तक सीमित होगी।	
3.	विस्तार सलाहकार सेवाएँ			
3.1	विस्तार सलाहकार सेवाएँ	1. योग्यता प्रमाणपत्र 2. आधार कार्ड 3. एससी/एसटी श्रेणी सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्र।	इस कार्यक्रम में स्पाइस एक्सटेंशन प्रशिक्षुओं (एसईटी), युवा पेशेवरों और अन्य आउटसोर्स जनशक्ति को समेकित मासिक वजीफा देकर क्षेत्रीय विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है।	पूरे भारत से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। चयनित उम्मीदवारों को स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौता करना होगा। प्रशिक्षण एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और निर्धारित समझौता-ज्ञापन में सहमति के अनुसार दो वर्ष या उससे पहले पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

घटक III: बाज़ार विस्तार के लिए क्षमताएँ बढ़ाना,
घटक IV: व्यापार संवर्धन और घटक
घटक V: तकनीकी हस्तक्षेप

1. सभी मसाला निर्यातक जिनके पास वैध सीआरईएस है, वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, बाजार विस्तार, व्यापार संवर्धन और तकनीकी हस्तक्षेप हेतु क्षमता संवर्धन घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. आवश्यकतानुसार, पहली बार आवेदन करने वाले, एसएमई, एफपीसी/एफपीओ/एसपीएस, फोकस सेक्टर/क्षेत्र, उच्च-स्तरीय मूल्य-संवर्धन खंड आदि जैसे उपयुक्त मानदंडों के आधार पर आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

3. ऐसे कार्यक्रमों के मामले में जिनमें निर्यात दायित्व की पूर्ति आवश्यक है, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव, यदि उचित समझें, तो निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि बढ़ा सकते हैं।

4. केवल वे फर्में जिनमें एससी/एसटी/उद्यमियों की 51% से अधिक शेयरधारिता है, एससी/एसटी/श्रेणी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगी।

5. ऐसे निर्यातकों के मामले में जिनके पास जीएसटी राशि वापस करने का प्रावधान है, बोर्ड सहायता प्रदान करते समय जीएसटी घटक पर विचार नहीं करेगा।

6. निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क लागू होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	कार्यक्रम	प्रोसेसिंग शुल्क**
1	मसालों के प्रसंस्करण हेतु तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप (टीआईआईपीएस)	सामान्य श्रेणी के लिए कुल पात्र सहायता का 5%।
2	आंतरिक प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन	
3	उत्पादन/निर्यात केंद्रों में सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना (निर्यातक संघों/समूहों/संस्थानों को सहायता)	
4	मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण	
5	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन का कार्यान्वयन।	सामान्य श्रेणी के लिए कुल पात्र सहायता का 1%।
6	भारतीय मसालों के लोगो और ब्रांडों का प्रचार।	
7	अंतर्राष्ट्रीय मेलों/बैठकों/सेमिनारों/प्रशिक्षणों में भागीदारी।	

**एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों) के निर्यातकों के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7. भारतीय मसालों के लोगो और ब्रांडों को बढ़ावा देने, निर्यात के लिए उत्पाद विकास में सहायता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों को सहायता (एस्पायर) को छोड़कर सभी कार्यक्रमों के तहत सहायता बैक-एंड सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

घटक-III	**बाजार विस्तार के लिए क्षमता बढ़ाना**	
क्र. सं.	**कार्यक्रम**	**सहायता का पैमाना**
1	मिशन मूल्य संवर्धन	
1.1	मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप	बोर्ड ने मसालों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए सुविधाएं स्थापित करने, मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक को अपनाने, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन आदि के लिए निर्यातकों की सहायता करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उच्च मूल्य संवर्धन खंडों (मसाला अर्क, मसाला-आधारित मसाला, तेल और ओलियोरेसिन, करी पाउडर/मिश्रण आदि सहित) के साथ-साथ उन खंडों/उत्पादों में इकाइयों को लाभ मिल सके, जिनमें भारत के पास वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने की क्षमता है। उच्च मूल्य संवर्धन खंडों के कुछ उदाहरणों में हल्दी तेल, ओलियोरेसिन और अर्क (करक्यूमिन); मिर्च ओलियोरेसिन (पेपरिका) और अर्क (कैप्साइसिन/कैप्सैंथिन); काली मिर्च अर्क (पिपेरिन); अदरक पाउडर, तेल और ओलियोरेसिन; जीरा ओलियोरेसिन; धनिया ओलियोरेसिन शामिल हैं; लहसुन का अर्क आदि। मूल्य संवर्धन के अन्य रूपों जैसे उपभोक्ता पैक में मसाले, एकल मसाला पाउडर, नमकीन पानी में मसाले, निर्जलीकरण, फ्रीज ड्राइंग, स्टरलाइज़ेशन आदि के साथ-साथ प्रमाणित जैविक मसालों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करने का भी प्रस्ताव है। मसालों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में उपयोग की जाने वाली कुछ आधुनिक तकनीकों/मशीनों में इन्फ्रारेड आधारित ड्रायर, माइक्रोवेव आधारित ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, रिफ्रैक्टेंस विंडो ड्रायर, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, एचटी-एसटी (उच्च तापमान - कम समय) आधारित स्टीम स्टरलाइज़र, निरंतर निष्कर्षण संयंत्र, एंजाइम/अल्ट्रासाउंड सहायता प्राप्त निष्कर्षण, मसालों और ताप संवेदनशील वनस्पति के लिए क्रायोजेनिक ग्राइंडर, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर/माइक्रोनाइज़, क) उच्च स्तरीय मूल्य संवर्धन एवं सहायक उपकरणों के लिए मशीनरी/उपकरण की लागत का 33%, योजना अवधि के दौरान प्रति निर्यातक अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये। (ख) योजना अवधि के दौरान, सामान्य श्रेणी के लिए मशीनरी/उपकरणों (नए निर्यातकों के मामले में, उच्च-स्तरीय मूल्यवर्धन के अलावा अन्य मूल्यवर्धन के प्रकार) और सहायक उपकरणों की लागत का 33%, अधिकतम 1.00

		करोड़ रुपये प्रति निर्यातक। और ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित), अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए उपकरण और सहायक उपकरणों की लागत का 75%, अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये। श्रेणी क और ख के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को कुल कारोबार, निवेश, कुल निर्यात, मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात, मूल्यवर्धित निर्यात के स्तर को बनाए रखते हुए वृद्धिशील उत्पादन की प्रतिबद्धता आदि जैसे मानदंडों के आधार पर सहायता के लिए विचार किया जाएगा। श्रेणी क के आवेदकों के लिए सहायता आवंटन में वरीयता पर विचार किया जाएगा। घटक क, ख और ग के अंतर्गत सहायता, मशीनरी/उपकरण/नियंत्रण प्रणाली/सुरक्षा नियंत्रण तंत्र की लागत तक सीमित होगी, जो उपकरण/विद्युत वस्तुओं से संबंधित/उपकरण से जुड़ी, सहायक स्थापनाएँ, सहायक सुविधाएँ/वस्तुएँ जैसे नियंत्रण पैनल, विद्युत केबल बिछाना आदि और स्थापना/निर्माण शुल्क आदि, जैसा भी लागू हो, तक सीमित होगी। यह कार्यक्रम मसालों के व्यापारी और निर्माता, दोनों निर्यातकों के लिए लागू है। हालाँकि, कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए आवेदन करने वाले व्यापारी निर्यातक को पात्र सहायता जारी होने से पहले, निर्यातक श्रेणी को निर्माता में बदलना होगा। ऐसे मामलों में, व्यापारी से निर्माता में परिवर्तन के बाद ही सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: 1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। 2. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान/चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा किया गया हो।

		3. जिस भूमि पर इकाई स्थापित है, उसका स्वामित्व प्रमाणित करने हेतु स्व-सत्यापित दस्तावेज़ की प्रति/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कब्ज़ा प्रमाणपत्र। 4. स्थापित/स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची, जिसमें उनका निर्माण और लागत दर्शाई गई हो। 5. इकाई में पहले से उपलब्ध उपकरणों की सूची। 6. कम से कम दो पक्षों से मशीनरी/उपकरणों के लिए कोटेशन। 7. कंपनी का पिछले वर्ष का तुलन-पत्र, जो सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो, यथा लागू। 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों/समूहों के लिए) प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में आवेदक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के बाद किए गए सभी भुगतानों पर ही विचार किया जाएगा। सभी भुगतान क्रॉस्ड चेक/बैंक हस्तांतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएँगे, जिनकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए। सभी भुगतान क्रॉस्ड चेक/बैंक हस्तांतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएँगे, जिनकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए। आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, निर्यातक की पात्रता का आकलन करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एक प्रारंभिक निरीक्षण किया जाएगा और प्रारंभिक निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन निर्यातकों के आवेदन व्यवहार्य पाए जाएँगे, उन्हें समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा, जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत विचाराधीन मदों (लागत सहित) का विवरण दिया जाएगा, ताकि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके और निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकें: 1. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित पूर्णता रिपोर्ट और विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा स्थापना रिपोर्ट।

		2. व्यय से संबंधित बिल/वाउचर/रसीदों (स्व-सत्यापित) की प्रतियां। 3. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। 4. परियोजना के अनुमोदित घटकों के लिए जारी किए गए भुगतानों का विवरण देने वाला बैंक स्टेटमेंट। 5. बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। आवेदक से पूर्णता रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किए जाने वाले पात्र परियोजना घटकों का आकलन करने हेतु अधिकारियों की एक टीम द्वारा इकाई का निरीक्षण कराएगा। निरीक्षण दल की अनुशंसा, सहायक दस्तावेज़ों और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, बोर्ड निर्यातक को सहायता की पात्र राशि निर्दिष्ट करते हुए एक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। सहायता राशि स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौता करने और बैंक गारंटी, एस्क्रो खाता, अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों आदि जैसे तंत्रों/उपकरणों के माध्यम से निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद वितरित की जाएगी। ***सहायता प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व*** लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी के मामले में, परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर, पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निर्यात प्रदर्शन के अतिरिक्त, स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि के पाँच गुना मूल्य के मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करके निर्यात दायित्व को पूरा करना आवश्यक है। एमएसएमई निर्यातकों के मामले में, निर्यात दायित्व परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके औसत निर्यात प्रदर्शन के अतिरिक्त, स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि का तीन गुना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित), अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए, निर्यात दायित्व सहायता राशि का तीन गुना होगा, जिसे परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्षों में

		पूरा किया जाना है। निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए, लाभार्थी द्वारा सीधे किए गए निर्यात के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा निर्यात के लिए अन्य निर्यातकों को की गई आपूर्ति पर भी विचार किया जाएगा। निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति सुनिश्चित करने के तंत्र/साधनों का विवरण नीचे दिया गया है: क) बैंक गारंटी (बीजी): बैंक गारंटी का मूल्य जारी की गई सहायता का 110% होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति के आधार पर बैंक गारंटी राशि में वार्षिक संशोधन किया जा सकता है। निर्यात दायित्व की पूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक गारंटी को अधूरे निर्यात दायित्व के अनुपात में लागू किया जाएगा और अधूरे निर्यात दायित्व पर 10% ब्याज भी लगेगा। आवश्यक निर्यात दायित्व की पूर्ति होने पर बैंक गारंटी जारी कर दी जाएगी। ख) एस्क्रो खाता: निर्यातक बैंक में एक एस्क्रो खाता खोल सकता है और बोर्ड से प्राप्त सहायता को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। फर्म की निर्यात आय की समय-समय पर निगरानी की जाएगी और सहायता राशि निर्यातक को आनुपातिक रूप से जारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बैंकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए निर्यातक द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की गणना करते समय एस्क्रो खाते में उपलब्ध राशि पर ब्याज न लें। ग) अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरण आदि: बैंकिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली में विकास के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों पर विचार किया जाएगा।
1.2	आंतरिक प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन।	विषाक्त पदार्थों, सूक्ष्मजीवी संदूषण आदि से उत्पन्न खतरे, साथ ही आयातक देशों द्वारा निर्धारित कीटनाशकों, एलर्जी, भारी धातुओं आदि के लिए विकसित मानकों का अनुपालन, निर्यात क्षेत्र में एक प्रमुख बाधा है। भारतीय मसाला उद्योग को आंतरिक परीक्षण उपकरणों और बुनियादी ढाँचे के साथ अद्यतन करने की आवश्यकता है, ताकि प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इससे गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मदद मिलेगी, जिससे सुरक्षित मसालों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

		बोर्ड आंतरिक प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु उपकरणों की खरीद हेतु निर्यातकों की सहायता करने का प्रस्ताव करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता इस प्रकार है: क) प्रयोगशाला से संबंधित उपकरणों और सहायक उपकरणों की लागत का 33%, सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये। ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित), अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए उपकरण और सहायक उपकरणों की लागत का 75%, अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले निर्यातकों को बाद में अपनी प्रयोगशाला को एनएबीएल के अंतर्गत मान्यता प्रदान करनी होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले निर्यातकों को बाद में अपनी प्रयोगशाला को एनएबीएल के अंतर्गत मान्यता देनी होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपकरण/उपकरण, सुरक्षा तंत्र, उपकरण/उपकरण से संबंधित/जुड़े विद्युत उपकरणों, प्रमाणित संदर्भ सामग्रियों, सहायक प्रतिष्ठानों, सहायक सुविधाओं/वस्तुओं जैसे नियंत्रण पैनल, विद्युत केबल बिछाने, गैस पाइप आदि और स्थापना/निर्माण शुल्क आदि की लागत तक सीमित है, जैसा भी लागू हो। यह कार्यक्रम केवल निर्माता निर्यातकों के लिए लागू है। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: 1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। 2. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान/चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा किया गया हो। 3. जिस भूमि पर इकाई स्थापित है, उसका स्वामित्व प्रमाणित करने हेतु स्व-सत्यापित दस्तावेज़ की प्रति/संबंधित

		प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कब्ज़ा प्रमाणपत्र। 4. स्थापित/स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों/उपकरणों की सूची, जिसमें निर्माता और लागत का उल्लेख हो। 5. इकाई में पहले से उपलब्ध उपकरणों/उपकरणों की सूची। 6. कम से कम दो पक्षों से उपकरणों/उपकरणों के लिए कोटेशन। 7. कंपनी की पिछले वर्ष का तुलन-पत्र, जो सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो, यथा लागू। 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों/समूहों के लिए) प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में आवेदक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के बाद किए गए सभी भुगतानों पर ही विचार किया जाएगा। सभी भुगतान क्रॉस्ड चेक/बैंक हस्तांतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएँगे, जिनकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए। आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, निर्यातक की पात्रता का आकलन करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एक प्रारंभिक निरीक्षण किया जाएगा और प्रारंभिक निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन निर्यातकों के आवेदन व्यवहार्य पाए जाएँगे, उन्हें समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा, जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत विचाराधीन मदों (लागत सहित) का विवरण दिया जाएगा, ताकि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके और निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकें: 1. चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा प्रमाणित पूर्णता रिपोर्ट और विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा स्थापना रिपोर्ट। 2. व्यय से संबंधित बिल/वाउचर/रसीदों (स्व-सत्यापित) की

		प्रतियां। 3. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। 4. परियोजना के अनुमोदित घटकों के लिए जारी किए गए भुगतानों का विवरण देने वाला बैंक स्टेटमेंट। 5. बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। आवेदक से पूर्णता रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किए जाने वाले पात्र परियोजना घटकों का आकलन करने हेतु अधिकारियों की एक टीम द्वारा इकाई का निरीक्षण कराएगा। निरीक्षण दल की अनुशंसा, सहायक दस्तावेज़ों और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, बोर्ड निर्यातक को सहायता की पात्र राशि निर्दिष्ट करते हुए एक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। सहायता राशि स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौता करने और बैंक गारंटी, एस्क्रो खाता, अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों आदि जैसे तंत्रों/उपकरणों के माध्यम से निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद वितरित की जाएगी। ***सहायता प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व*** लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी के मामले में, परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर, पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निर्यात प्रदर्शन के अतिरिक्त, स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि के पाँच गुना मूल्य के मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करके निर्यात दायित्व को पूरा करना आवश्यक है। एमएसएमई निर्यातकों के मामले में, निर्यात दायित्व परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके औसत निर्यात प्रदर्शन के अतिरिक्त, स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि का तीन गुना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित), अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए, निर्यात दायित्व सहायता राशि का तीन गुना होगा, जिसे परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्षों में पूरा किया जाना है।

		निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए, लाभार्थी द्वारा सीधे किए गए निर्यात के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा निर्यात के लिए अन्य निर्यातकों को की गई आपूर्ति पर भी विचार किया जाएगा। निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति सुनिश्चित करने के तंत्र/साधनों का विवरण नीचे दिया गया है: क) बैंक गारंटी (बीजी): बैंक गारंटी का मूल्य जारी की गई सहायता का 110% होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति के आधार पर बैंक गारंटी राशि में वार्षिक संशोधन किया जा सकता है। निर्यात दायित्व की पूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक गारंटी को अधूरे निर्यात दायित्व के अनुपात में लागू किया जाएगा और अधूरे निर्यात दायित्व पर 10% ब्याज भी लगेगा। आवश्यक निर्यात दायित्व की पूर्ति होने पर बैंक गारंटी जारी कर दी जाएगी। ख) एस्क्रो खाता: निर्यातक बैंक में एक एस्क्रो खाता खोल सकता है और बोर्ड से प्राप्त सहायता को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। फर्म की निर्यात आय की समय-समय पर निगरानी की जाएगी और सहायता राशि निर्यातक को आनुपातिक रूप से जारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बैंकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए निर्यातक द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की गणना करते समय एस्क्रो खाते में उपलब्ध राशि पर ब्याज न लें। ग) अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरण आदि: बैंकिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली में विकास के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों पर विचार किया जाएगा।

1.3	मसाला पार्कों के रखरखाव सहित उत्पादन/निर्यात केन्द्रों में सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना।	बोर्ड द्वारा पहले से स्थापित मसाला पार्कों के रखरखाव हेतु व्यय का 100%। सिक्किम मसाला कॉम्प्लेक्स परियोजना में बोर्ड के हिस्से की शेष राशि का 100%। निर्यातक संघों/निर्यात क्लस्टरों (ओडीओपी, डीईएच, इसी प्रकार की निर्यात संवर्धन पहल, जिला/क्लस्टर स्तर पर निर्यातोन्मुखी मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन हेतु सहयोगात्मक प्रयास आदि)/व्यापार सहायता संस्थानों और अन्य समान संगठनों/संस्थाओं को उत्पादन/निर्यात केंद्रों में स्टरलाइज़ेशन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, भंडारण आदि हेतु सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने हेतु 90% सहायता, अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये तक। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: 1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। 2. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान/चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा किया गया हो। 3. जिस भूमि पर इकाई स्थापित है, उसका स्वामित्व प्रमाणित करने हेतु स्व-सत्यापित दस्तावेज़ की प्रति/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कब्ज़ा प्रमाणपत्र। 4. स्थापित/स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची, जिसमें उनका निर्माण और लागत दर्शाई गई हो। 5. इकाई में पहले से उपलब्ध उपकरणों की सूची, यदि कोई हो। 6. मशीनरी/उपकरणों के लिए कम से कम दो पक्षों से कोटेशन 7. कंपनी की पिछले वर्ष का तुलन-पत्र, जो सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो, यथा लागू। प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में आवेदक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के बाद किए गए सभी भुगतानों पर ही विचार किया जाएगा। सभी भुगतान क्रॉस्ड चेक/बैंक हस्तांतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएँगे, जिनकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए। आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य

		सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, निर्यातक की पात्रता का आकलन करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एक प्रारंभिक निरीक्षण किया जाएगा और प्रारंभिक निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। निर्यातक संघों/निर्यात क्लस्टरों (ओडीओपी, डीईएच, इसी तरह की निर्यात संवर्धन पहल, जिला/क्लस्टर स्तर पर निर्यातोन्मुखी मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए सहयोगात्मक प्रयास आदि)/व्यापार सहायता संस्थानों और अन्य समान संगठनों, जिनके आवेदन व्यवहार्य पाए जाते हैं, को समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। समिति की सिफारिश के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा, जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत विचाराधीन वस्तुओं (लागत सहित) का विवरण दिया जाएगा, ताकि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें: 1. चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा प्रमाणित पूर्णता रिपोर्ट और विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा स्थापना रिपोर्ट। 2. व्यय से संबंधित बिल/वाउचर/रसीदों (स्व-सत्यापित) की प्रतियां। 3. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। 4. परियोजना के अनुमोदित घटकों के लिए जारी किए गए भुगतानों का विवरण देने वाला बैंक स्टेटमेंट। 5. बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। आवेदक से पूर्णता रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किए जाने वाले पात्र परियोजना घटकों का आकलन करने हेतु अधिकारियों की एक टीम द्वारा इकाई का निरीक्षण कराएगा। निरीक्षण दल की अनुशंसा, सहायक दस्तावेज़ों और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, बोर्ड निर्यातक को सहायता की पात्र राशि निर्दिष्ट करते हुए एक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सहायता राशि वितरित की जाएगी।

1.4	मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण।	बोर्ड का उद्देश्य निर्यातकों को उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हेतु ड्रायर, क्लीनर, ग्रेडिंग उपकरण, कलर सॉर्टेक्स, पॉलिशिंग उपकरण, डीस्टॉकिंग मशीन, डीहुलिंग उपकरण, पैकिंग उपकरण आदि सहित सभी प्रकार के प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण/सुविधाएँ स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात योग्य अधिशेष एकत्र किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड इमदाद के रूप में प्रदान की जाएगी और यह एमएसएमई की सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फर्मों तक सीमित होगी। हालाँकि, कोई व्यापारी निर्यातक जो सूक्ष्म श्रेणी के टर्नओवर के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करता है, कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, निर्यातक को पात्र सहायता जारी करने से पहले निर्यातक श्रेणी को निर्माता निर्यातक में परिवर्तित करना होगा और व्यापारी से निर्माता में रूपांतरण के बाद ही सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता इस प्रकार है: क) सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए उपकरण एवं सहायक उपकरणों की लागत का 50%, अधिकतम 10.00 लाख रुपये। ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए उपकरण एवं सहायक उपकरणों की लागत का 75%, अधिकतम 15.00 लाख रुपये। ग) निर्यात क्लस्टरों (ओडीओपी, डीईएच, समान निर्यात संवर्धन पहल आदि) में इकाइयों के लिए उपकरण एवं सहायक उपकरणों की लागत का 90%, अधिकतम 18.00 लाख रुपये। ये निर्यात क्लस्टर जिला/क्लस्टर स्तर पर निर्यातोन्मुखी मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन हेतु प्रमुख/सरकारी संगठनों के प्रस्तावों के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। घटक क, ख और ग के अंतर्गत सहायता, उपकरण में शामिल मशीनरी/उपकरण/नियंत्रण प्रणाली की

		लागत/उपकरण से संबंधित/जुड़े विद्युतीय सामान, सहायक संस्थापन, सहायक सुविधाएं/सामग्री जैसे नियंत्रण पैनल, विद्युत केबल बिछाना आदि और संस्थापन/निर्माण शुल्क आदि, जैसा भी लागू हो, तक सीमित होगी। सहायता की अधिकतम राशि की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और सहायता के पैमाने में कोई बदलाव किए बिना, महंगे उपकरण/किट के लिए एक उच्च सीमा तय की जाएगी। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसका मूल्यांकन वित्तीय संस्थान/चार्टर्ड इंजीनियर या किसी अन्य सक्षम तकनीकी संगठन द्वारा किया गया हो। ग) स्थापित/स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची, जिसमें उनका निर्माण और लागत दर्शाई गई हो। घ) इकाई में पहले से उपलब्ध उपकरणों की सूची, यदि कोई हो। ङ) कम से कम दो पक्षों से मशीनरी/उपकरण के लिए कोटेशन। च) जिस भूमि पर इकाई स्थापित है, उसके कब्जे को स्थापित करने के लिए स्व-सत्यापित दस्तावेज़ की प्रति। छ) कंपनी की पिछले वर्ष का तुलन-पत्र, जो सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो, यथा लागू। ज) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों/समूहों के लिए) संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों की स्थापना के संबंध में आवेदक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के बाद किए गए सभी भुगतानों पर ही विचार किया जाएगा। सभी भुगतान क्रॉस्ड चेक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक हस्तांतरण/भुगतान के अन्य डिजिटल तरीकों से किए जाएँगे, जिनकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट में दी जानी चाहिए। आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, निर्यातक की पात्रता का

		आकलन करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एक प्रारंभिक निरीक्षण किया जाएगा और प्रारंभिक निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। समिति की सिफारिश के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा, जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत विचारित मदों (लागत सहित) का विवरण दिया जाएगा, ताकि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें: 1. चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित पूर्णता रिपोर्ट और विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा स्थापना रिपोर्ट। 2. बिल/वाउचर/रसीदों की प्रतियां (स्व-सत्यापित) 3. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। 4. परियोजना के स्वीकृत घटकों के लिए जारी किए गए भुगतानों का विवरण देने वाला बैंक स्टेटमेंट या परियोजना के लिए किए गए भुगतान से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट की प्रतियाँ। 5. बोर्ड द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज़ आवेदक से पूर्णता रिपोर्ट और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए विचार किए जाने वाले पात्र परियोजना घटकों का आकलन करने हेतु अधिकारियों की एक टीम द्वारा इकाई का निरीक्षण कराएगा। निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर और धन की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड निर्यातक को सहायता की पात्र राशि निर्दिष्ट करते हुए एक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सहायता राशि क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड इमदाद के रूप में वितरित की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2	भारतीय मसालों का उत्पाद एवं बाजार विकास और ब्रांडिंग।	
2.1	भारतीय मसालों के लोगो और ब्रांडों का प्रचार।	इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित विदेशी बाज़ारों में भारतीय ब्रांडों की पैठ बढ़ाने में सहायता करना है। इसके लिए कई उपायों की श्रृंखला अपनाई जाएगी ताकि भारतीय मसाला ब्रांडों को विदेशी उपभोक्ताओं की पहुँच में लाया जा सके और उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके तथा खाद्य सुरक्षा

		सुनिश्चित की जा सके। यह सहायता ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी, जिसमें स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और उत्पाद विकास लागत सहित प्रचार उपायों का 100% कवर किया जाएगा, जो इस अवधि में प्रति निर्यातक अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये तक होगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची में इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग, लिस्टिंग शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, आउटडोर प्रचार, बिलबोर्ड, चैनलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन आदि शामिल हैं। ऐसी किसी भी गतिविधि को भी शामिल करने का प्रस्ताव है जो बदलते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की गतिशीलता को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और जो ब्रांड छवि बनाने में मदद करे, आदि। सभी पंजीकृत मसाला निर्यातक जिन्होंने बोर्ड के साथ अपने ब्रांड नाम पंजीकृत कराए हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, भारतीय मसालों के लोगो के पुनर्जीवित होने के बाद, स्पाइसेस बोर्ड केवल उन्हीं ब्रांडों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र बनाने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने भारतीय मसालों का लोगो लगाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। कोई भी निर्यातक अपने अनुमोदित ब्रांड को निर्यात स्थलों पर प्रचारित करने के लिए अधिकतम तीन किश्तों में सहायता प्राप्त कर सकता है। ब्रांडेड उपभोक्ता पैक में सभी प्रकार के मसालों का निर्यात इस सहायता के लिए पात्र होगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंतर्गत जिन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, उनकी एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है: इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग, स्लॉटिंग/ लिस्टिंग शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, आउटडोर प्रचार, बिलबोर्ड, चैनलों पर व्यावसायिक विज्ञापन, पाक कला प्रदर्शन आदि। प्रस्तावित है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को भी शामिल किया जाए जो बदलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और जो ब्रांड छवि बनाने में मदद करे, आदि। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (ख) प्रस्तावित बाज़ार प्रचार का विस्तृत विवरण देने वाला व्यापक प्रस्ताव

		(ग) प्रत्येक खंड/बाज़ार में वार्षिक लागत का विवरण (घ) स्पाइसेस बोर्ड से वैध ब्रांड पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ङ) सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कंपनी का पिछले वर्ष का तुलन-पत्र, यथा लागू च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों/समूहों के लिए) आवेदन, प्रस्ताव और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन निर्यातकों के आवेदन व्यवहार्य पाए जाएँगे, उन्हें समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा और उसके बाद स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यक्रम के लिए कुल स्वीकृत राशि, बोर्ड के साथ किए गए समझौते के आधार पर और ऋण राशि की अदायगी सुनिश्चित करने/बैंक गारंटी, अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों आदि जैसे तंत्रों/उपकरणों के माध्यम से निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद, अनुमोदित गतिविधि के लिए प्रस्तावित व्यय के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त समझौते के निष्पादन और आवश्यक दस्तावेज़ों के पूरा होने पर अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। दूसरी और तीसरी किस्तें, पिछली किस्तों के जारी होने के बाद, की गई गतिविधियों और किए गए व्यय के मूल्यांकन और समीक्षा के बाद समिति द्वारा जारी की जाएंगी। भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में किया जाएगा और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, यदि कोई हो, निर्यातक को पूरी करनी होगी। ***सहायता प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व*** लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित विदेशी बाज़ारों में मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करके निर्यात दायित्व पूरा करना होगा, जो स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि का पाँच गुना होगा। एमएसएमई निर्यातकों के मामले में, निर्यात दायित्व, कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित विदेशी बाज़ारों में स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्त सहायता राशि का तीन गुना होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि ऋण की पहली किस्त प्राप्त करने की तिथि से लेकर अंतिम किस्त प्राप्त करने

		की तिथि से पाँच वर्ष तक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित), अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) की इकाइयों के लिए, निर्यात दायित्व सहायता राशि का तीन गुना होगा, जिसे परियोजना के पूरा होने की तिथि से पाँच वर्षों में पूरा किया जाना है। निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए, लाभार्थी द्वारा सीधे किए गए निर्यात के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा निर्यात के लिए अन्य निर्यातकों को की गई आपूर्ति पर भी विचार किया जाएगा। निर्यात दायित्व (ईओ) की पुनर्भुगतान/सुरक्षित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तंत्र/उपकरणों का विवरण नीचे दिया गया है: क) बैंक गारंटी (बीजी): बैंक गारंटी का मूल्य जारी की गई सहायता का 110% होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति के आधार पर बैंक गारंटी राशि में वार्षिक संशोधन किया जा सकता है। निर्यात दायित्व की पूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक गारंटी को अधूरे निर्यात दायित्व के अनुपात में लागू किया जाएगा और अधूरे निर्यात दायित्व पर 10% ब्याज भी लगेगा। आवश्यक निर्यात दायित्व की पूर्ति होने पर बैंक गारंटी जारी कर दी जाएगी। बैंक गारंटी को समाप्ति तिथि से काफी पहले नवीनीकृत किया जाएगा/आवश्यकतानुसार ऋण की अगली किश्तें स्वीकृत/जारी होने पर बढ़ाया जाएगा। ख) अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरण आदि: बैंकिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली में विकास के आधार पर, बोर्ड द्वारा निर्यात दायित्व की पुनर्भुगतान/सुरक्षित पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य उपयुक्त तंत्र/उपकरणों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक किश्त के उपयोग पर, निर्यातक को प्रगति रिपोर्ट के साथ की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण देना होगा। साथ ही, यह विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि स्वीकृत उद्देश्य के लिए ऋण का पूर्ण उपयोग किया गया है, साथ ही व्यय विवरण, अगले चरण के लिए किए गए/प्रतिबद्ध व्यय के लिए सहायक दस्तावेजी साक्ष्य, निर्दिष्ट ब्रांडों के निर्यात आँकड़े आदि भी प्रस्तुत करने होंगे। उचित दस्तावेजी साक्ष्य और संतोषजनक रिपोर्ट के अभाव में, बोर्ड किश्तों में कमी कर सकता है या सहायता बंद कर सकता है। ऋण की अदायगी चार समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी

		और अदायगी अंतिम किस्त जारी होने के 24 महीनों के भीतर शुरू होकर अंतिम किस्त जारी होने के 60 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। अदायगी में चूक या निर्यात दायित्व की पूर्ति न होने की स्थिति में, बोर्ड का बकाया ऋण राशि का लागू ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करने और लागू निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी या तंत्र/उपकरणों का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, यदि निर्यातक प्राप्त की गई पहली किस्त के लिए सभी दस्तावेजों सहित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है या दस्तावेजों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लेकिन बाद की किस्तों का लाभ नहीं उठाता है, तो निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी या कार्यक्रम के अंतर्गत लागू ऐसे तंत्र/उपकरणों का आनुपातिक रूप से प्रयोग किया जाएगा, ताकि दंडात्मक ब्याज सहित लागू बकाया राशि की वसूली की जा सके। भारतीय मसालों, व्यंजनों, ब्रांडों, भारतीय मसालों के लोगो आदि को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा संचालित प्रचार गतिविधियों/विपणन/जनसंपर्क अभियानों और अन्य प्रचार कार्यक्रमों पर होने वाले 100% खर्च का वहन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि भारतीय मसालों की वैश्विक ब्रांड छवि का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा सके। इन अभियानों का उद्देश्य मसाला क्षेत्र में भारत की क्षमताओं और योग्यताओं को प्रदर्शित करना है, ताकि ग्राहकों में भारतीय मसाला ब्रांडों के साथ-साथ भारतीय व्यंजनों, जिनमें मसाले अवश्य होते हैं, के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
2.2	नमूने भेजने के लिए मसाला निर्यातकों को सहायता	बोर्ड का उद्देश्य निर्यातकों को कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक नमूने विदेश भेजने में सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में आयातक द्वारा सुझाई गई विदेशी प्रयोगशाला में सीधे नमूने भेजने, लागू मापदंडों के परीक्षण/नमूना जाँच कार्यक्रमों में निर्यातकों की भागीदारी आदि के लिए कूरियर शुल्क भी शामिल होगा। इस योजना के अंतर्गत नए पंजीकृत निर्यातकों (पिछले तीन वर्षों में स्पाइसेस बोर्ड में पहला पंजीकरण) और सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के निर्यातकों तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार न करने वाले निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाएगी।

		यह सहायता कूरियर शुल्क की लागत का 50% होगी, जो प्रति निर्यातक (सामान्य श्रेणी) प्रतिवर्ष अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सहायता के अधीन होगी। और एससी/एसटी निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को कूरियर शुल्क का 75%, अधिकतम 2.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) निर्यातक द्वारा तैयार की गई योजना जिसमें नमूनों की अनुमानित संख्या, देश और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि का उल्लेख हो। आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड मसाला व्यवसाय के नमूने विदेश भेजने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति की जाँच करेगा और उसे जारी करेगा। सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुसार नमूने सफलतापूर्वक भेजने के बाद, फर्मों को सहायता प्राप्त करने के लिए तिमाही आधार पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। क) कूरियर वे बिल ख) डिलीवरी का प्रमाण ग) भुगतान का प्रमाण घ) प्रोफार्मा चालान/नमूना चालान/पैकिंग सूची जिसमें भेजी गई वस्तुओं की सूची हो, सेवा प्रदाता द्वारा प्रमाणित। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के मामले में एक वस्तु के नमूने का वजन एक किलोग्राम से अधिक नहीं होगा और अन्य मसालों और मसाला उत्पादों के लिए 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2.3	निर्यात के लिए उत्पाद विकास का समर्थन करना	इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यातकों के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं से युक्त राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को

		मसालों के न्यूट्रास्युटिकल, औषधीय, कॉस्मेटिक और अन्य संबंधित गुणों पर आधारित उत्पाद विकास अध्ययन करने में सहायता प्रदान करना है ताकि निर्यात बाजारों को लक्षित करके नए उत्पाद विकसित किए जा सकें। इस सहायता में नैदानिक अध्ययन (अंतर्राष्ट्रीय), पेटेंट और वाणिज्यिक/नियामक अनुमोदन (ईपीए, एफडीए आदि) भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास हेतु अनुसंधान-उन्मुख कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा, जिनमें मसालों के स्वास्थ्य और न्यूट्रास्युटिकल लाभों का साक्ष्य-आधारित सत्यापन, प्रक्रिया विकास, मसालों के प्रसंस्करण के दौरान जैवसक्रिय यौगिकों की निगरानी, मूल्यवर्धित उत्पादों के भंडारण पर अध्ययन आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थायी बाजारों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के गुणवत्ता और सुरक्षा मूल्यांकन पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें मूल्यवर्धित उत्पादों के गुणवत्ता और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विश्लेषणात्मक विधियों का विकास, मूल्यवर्धित उत्पादों का मार्कर-आधारित मानकीकरण, और मसाला-आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना शामिल है। देश में उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की संभावनाओं के अलावा, मसाला क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान/उपकरण/यंत्र/नए उत्पादों के विकास में निर्यातकों/विशेषज्ञ संस्थानों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग नवीनतम वैश्विक विकास/आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रख सके। यदि नैदानिक परीक्षण (अंतर्राष्ट्रीय), पेटेंटिंग और वाणिज्यिक/नियामक अनुमोदन (ईपीए, एफडीए आदि) शामिल हैं, तो सहायता उत्पाद विकास, अनुसंधान, जिसमें नए उपकरणों/उपकरणों का विकास/प्रौद्योगिकी का सत्यापन शामिल है, की लागत का 50% होगी, जो अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये तक होगी। यदि नैदानिक परीक्षण, पेटेंटिंग आदि शामिल नहीं हैं, तो सहायता 25 लाख रुपये तक सीमित होगी। उपकरण की लागत के लिए सहायता, यदि कोई हो, परियोजना लागत के अधिकतम 25% तक मानी जाएगी। केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास तथा

		सरकार के अन्य संस्थानों के मामले में, यदि नैदानिक परीक्षण (अंतर्राष्ट्रीय), पेटेंटिंग और वाणिज्यिक/नियामक अनुमोदन (ईपीए, एफडीए आदि) शामिल हैं, तो परियोजना की लागत का 100% तक, अधिकतम ₹1.00 करोड़ तक, सहायता दी जाएगी। यदि नैदानिक परीक्षण, पेटेंटिंग आदि शामिल नहीं हैं, तो सहायता ₹25 लाख तक सीमित होगी। उपकरणों की लागत के लिए सहायता, यदि कोई हो, कुल सहायता के अधिकतम 25% तक सीमित होगी। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। (ख) संस्थान/निर्यातक के प्रमुख द्वारा मूल्यांकन किया गया विस्तृत परियोजना प्रस्ताव। (ग) परियोजना में शामिल कार्मिकों/वैज्ञानिकों (प्रधान अन्वेषक, सह-अन्वेषक आदि) का प्रोफ़ाइल और अनुसंधान अनुभव। (घ) प्रस्ताव पर कार्य करने के लिए उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और उपकरणों का विवरण। (ङ) कम से कम दो पक्षों से मशीनरी/उपकरण (यदि कोई हो) के लिए कोटेशन। (च) प्रस्ताव के लिए स्पाइसेस बोर्ड और निर्यातक के हिस्से का घटक-वार लागत विवरण। आवेदन, परियोजना प्रस्ताव और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, बोर्ड एक बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता से प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जाँच करेगा और यदि तकनीकी मूल्यांकन के बाद प्रस्ताव संतोषजनक पाया जाता है, तो निर्यातकों/अनुसंधान संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक स्वीकृति-पत्र जारी करेगा, जिसमें विस्तृत विवरण दिया जाएगा। इसके बाद, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्पाइसेस बोर्ड और आवेदक के बीच एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। वित्तीय सहायता नीचे दी गई तीन किस्तों में जारी की जाएगी, जब तक कि इस संबंध में निष्पादित समझौता-ज्ञापन में अन्यथा प्रावधान न हो; 1. समझौता-ज्ञापन के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड के हिस्से की पहली किस्त, अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए समझौता-

		ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। 2. प्रस्तावित शोध कार्य में उल्लेखनीय प्रगति होने पर और स्व-प्रमाणित बिलों व वाउचरों द्वारा समर्थित, प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई राशि के लिए प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण, अवधि के दौरान आवश्यक उपकरणों/यंत्रों की लागत सहित, प्रस्तुत करने पर, समझौता-ज्ञापन के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड के हिस्से की दूसरी किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी। 3. समझौता-ज्ञापन के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड के हिस्से की शेष राशि, शोध कार्य पूरा होने पर और स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति के साथ अंतिम एवं समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में भुगतान की जाएगी। 4. यदि परियोजना में नए/नवप्रवर्तनशील उत्पादों का विकास शामिल है, तो बोर्ड को पर्याप्त संख्या में अंतिम उत्पाद उपलब्ध कराए जाएँगे। सहायता की दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने से पहले, आवेदक को परियोजना से संबंधित बोर्ड द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे: 1. परियोजना की क्रमशः दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने के लिए अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट। 2. परियोजना के पूरा होने के दौरान किए गए भुगतानों के बिलों की मूल प्रति और प्रमाण। (यदि सीएजी/एजी द्वारा लेखपरीक्षा किए गए सरकारी संस्थानों के लिए मूल बिल जमा करने में कठिनाइयां आती हैं, तो व्यय विवरण और बिलों और दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ एक उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी संस्थानों के अलावा अन्य लाभार्थियों को मूल बिल/दस्तावेज जमा करने होंगे। लाभार्थी द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के बाद उन्हें वापस किया जा सकता है। 3. सनदी लेखाकार या संगठन के प्रमुख (सरकारी संस्थानों के मामले में) द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। 4. विकसित उत्पादों के नमूने (यथा लागू)। 5. उत्पादों के दावा किए गए गुणों को स्थापित करने के

		लिए दस्तावेजों की प्रतियां (यथा लागू)। 6. उत्पाद के लिए पेटेंटिंग/ वाणिज्यिक/विनियामक अनुमोदन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (यथा लागू)। 7. परियोजना के संबंध में किए गए शोध प्रकाशनों की प्रतियां (यथा लागू)। 8. बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। दस्तावेज़ों का सत्यापन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2.4	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता।	एचएसीसीपी/आईएसओ मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)/जीएमपी/ एनपीओपी/जैविक प्रमाणन, मसालों से संबंधित अन्य प्रमाणन और चिह्नों, जैसे स्पाइस हाउस प्रमाणन, भारतीय मसाला लोगो आदि के कार्यान्वयन
		हेतु निर्यातकों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन का संचार हो सके और भारतीय मसालों के लिए वैश्विक खरीदारों के बीच विश्वास का निर्माण और सुधार हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड का इस अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए प्रमाणन/नवीनीकरण की लागत का 50%, अधिकतम ₹5.00 लाख तक देने का प्रस्ताव है। और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए प्रमाणन/नवीनीकरण की लागत का 75%, अधिकतम ₹7.50 लाख तक) देने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम मसालों के निर्माता निर्यातकों के लिए लागू है और इसमें एकाधिक प्रमाणपत्रों के साथ-साथ प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण पर भी विचार किया जाएगा। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: 1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

		2. प्रमाणन निकाय से प्राप्त कोटेशन/अनुमान। 3. प्रमाणन के दायरे और प्रमाणन में शामिल मसालों/ प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त विवरण, साथ ही प्रमाणन प्राप्त करने के बाद निर्यातक पर अनुमानित प्रभाव। आवेदन और सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, बोर्ड आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा ताकि वह बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रमाणन पूरा कर सके और उसे निम्नलिखित दस्तावेज़ बोर्ड को प्रस्तुत करने होंगे। 1. प्राप्त प्रमाणन की एक प्रति। 2. प्रमाणन/प्रमाणन एजेंसी को जारी किए गए कार्य आदेश की प्रति। 3. मूल चालान/बिल और प्रमाणन निकाय को किए गए भुगतान का प्रमाण। 4. बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। दस्तावेज़ों का सत्यापन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2.5	बहु-मॉडल परिवहन को कवर करने वाले प्रारंभिक शिपमेंट के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता।	इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों (अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से मसालों के प्रारंभिक निर्यात शिपमेंट के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसमें विदेशी बाजारों की खोज के लिए बहु-मॉडल परिवहन शामिल है। यह सहायता एक निर्यात खेप के लिए परीक्षण शिपमेंट (बहु-मॉडल परिवहन) की लागत का 75% होगी, जो अधिकतम 15.00 लाख रुपये तक होगी, जो इस अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता होगी। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, ख) पूर्वोत्तर से उत्पादों की सोर्सिंग और आपूर्ति/निर्यात की विस्तृत योजना (योजना में निर्यात हेतु वस्तुएँ, प्रसंस्करण, परिवहन का तरीका, समय-सीमा, परिवहन के विभिन्न तरीकों का विवरण सहित लागत, गंतव्य देश आदि जैसे घटक शामिल होंगे।)

		आवेदन प्राप्त होने पर, फर्म द्वारा प्रस्तुत योजना का मूल्यांकन स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा और बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादों, बाज़ारों, मात्रा और पात्र सहायता को निर्दिष्ट करते हुए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करेगा। मसालों/मसाला उत्पादों की सोर्सिंग और उसके बाद निर्यात पूरा होने पर, निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा। क) प्राप्त मसालों का चालान। ख) क्रेता से क्रय आदेश। ग) परिवहन का प्रमाण जैसे ई-वे बिल, डिलीवरी चालान, लॉरी/रेल रसीद, शिपिंग बिल आदि। घ) खरीद और परिवहन के लिए भुगतान का प्रमाण। ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त विशेष मसालों/मसाला उत्पादों के निर्यात का प्रमाण, एक घोषणापत्र के साथ। च) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2.6	निर्यात विकास के लिए बाजार अनुसंधान एवं सहायक सेवाएं।	बाजार अनुसंधान एवं अध्ययन, व्यापार सूचना सेवा, बोर्ड द्वारा सिग्नेचर स्टॉल/मसाला लाउंज/खुदरा दुकानों की स्थापना, पुरस्कार, प्रमाणपत्र आदि के माध्यम से निर्यातकों को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना, नमूना संचालन और भराई पर्यवेक्षण, मसाला उद्योग की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य के हस्तक्षेप, प्रशिक्षुओं, युवा पेशेवरों, अन्य आउटसोर्स जनशक्ति आदि जैसे मानव संसाधनों को शामिल करना जैसी गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए बोर्ड द्वारा 100% व्यय कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा।
3	गुणवत्ता आश्वासन	
3.1	निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करना।	इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान करना है ताकि मसाला निर्यात की गुणवत्ता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित हो सके। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ आईएसओ गुणवत्ता मानकों के अनुसार विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान करती हैं। विश्लेषणात्मक शुल्क फॉर्म 75 (इच्छुक ग्राहकों की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध) में दिए गए विवरण के अनुसार एकत्र किया जा रहा है, जिसमें परीक्षण किए गए विभिन्न

		मापदंडों, विश्लेषणात्मक शुल्क, आवश्यक न्यूनतम मात्रा और विश्लेषण पूरा होने में लगने वाले दिनों की जानकारी दी गई है। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं। मसाला उद्योग की तात्कालिक और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनके लिए बोर्ड की प्रयोगशालाएँ अभी क्षमताएँ विकसित करने की प्रक्रिया में हैं या जिनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है; निजी और अन्य एजेंसियों की प्रयोगशालाओं को हर दो साल में बाज़ार सर्वेक्षण करके प्रयोगशाला मान्यता हेतु स्पाइसेस बोर्ड कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। विश्लेषणात्मक सेवा में निम्नलिखित संबंधित गतिविधियाँ भी शामिल हैं: 1. अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार निर्यात खेपों से नमूनों का परीक्षण करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों और अन्य प्रयोगशाला सहायक उपकरणों की खरीद। 2. वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से उपकरणों का रखरखाव, पुर्जों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, और प्राप्त परीक्षण परिणामों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का अंशांकन। 3. विश्लेषणात्मक सेवा के लिए आवश्यक रसायनों, प्रमाणित संदर्भ सामग्रियों और अन्य प्रयोगशाला उपभोग्य सामग्रियों की व्यवस्था करना। 4. विश्लेषणात्मक सेवा के लिए आवश्यक सहायक अवसंरचना सुनिश्चित करना, जैसे एयर कंडीशनिंग, यूपीएस और डीजी के माध्यम से निरंतर बिजली आपूर्ति, कीट और कृंतक नियंत्रण, अग्निशमन उपकरण, आदि, और अन्य नागरिक और विद्युत आवश्यकताएँ। 5. प्रशिक्षु विश्लेषकों और अन्य संविदा तकनीकी कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण। 6. प्रयोगशाला तकनीकी कर्मचारियों के लिए उनकी क्षमता और कौशल को अद्यतन और बेहतर बनाने हेतु आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम। 7. प्रयोगशालाओं में आईएसओ/आईईसी 17025 और अन्य प्रासंगिक गुणवत्ता प्रणालियों के अनुसार मान्यता का कार्यान्वयन और रखरखाव। 8. गुणवत्ता आश्वासन के लिए दक्षता परीक्षण और अंतर-

		प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रमों में भागीदारी। 9. प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य विभागों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, परीक्षण गतिविधियों, उच्च-स्तरीय विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग आदि में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। 10. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान में उभरती खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता चुनौतियों के अनुरूप निर्बाध विश्लेषणात्मक सेवा सहायता सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकतानुसार, योग्य, सक्षम और मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष प्रयोगशालाओं को बोर्ड के निर्यात खेप निगरानी नेटवर्क में शामिल करना और पैनल में शामिल करना। पीटी कार्यक्रमों और आईएलसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की क्षमता सुनिश्चित करना। 11. लागत साझाकरण के आधार पर, ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों पर समान अधिकार सुनिश्चित करने के बाद, मसालों के लिए एफएसएसएआई रेफरल लैब के रूप में विधि सत्यापन हेतु त्वरित परीक्षण उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करना। 12. कार्यान्वित गुणवत्ता प्रणालियों की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित अंतराल पर आंतरिक और बाह्य लेखपरीक्षा करना। 13. अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना, और इस क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक संशोधनों और सुधारों की समीक्षा करना। 14. भुगतान के आधार पर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करना। बोर्ड द्वारा किया जाने वाला 100% व्यय इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जाएगा।
3.2	मसालों के विश्लेषण में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना।	इस कार्यक्रम का उद्देश्य बोर्ड की प्रयोगशालाओं को विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित करना है, जैसे: 1. क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं (जैसे, कीटनाशक अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड, भारी धातुएँ, पाइरोलिज़िडिन एल्कलॉइड, एलर्जी, एमओएसएच और एमओएएच आदि) के अनुसार मसालों के लिए विश्लेषणात्मक विधियों का विकास, सत्यापन और मानकीकरण करना।

		2. अनिवार्य परीक्षण नेटवर्क के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के लिए आईएलसी और पीटी कार्यक्रमों हेतु समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना। 3. नए उत्पाद विकास और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए मसालों के न्यूट्रास्युटिकल कार्यात्मक खाद्य अनुप्रयोगों के विकास हेतु अध्ययन करना और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना। 4. मसालों की सुरक्षा, विशेष रूप से सूक्ष्मजीव सुरक्षा पर पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग अध्ययन। 5. मसालों के परीक्षण हेतु त्वरित परीक्षण विधियों/उपकरणों के आपूर्तिकर्ता के साथ सहयोग करना। 6. आवश्यकतानुसार खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता, मूल्य संवर्धन, मसालों के न्यूट्रास्युटिकल और औषधीय गुणों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ। 7. जैविक, जीवाणुरहित मसालों/मसाला उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक विकसित करना। 8. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अधिकतम अवशेष सीमा और अन्य सहनशीलता मानदंड निर्धारित करने हेतु डेटा तैयार करना। 9. उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए क्यूईएल के बुनियादी ढाँचे का उन्नयन। कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किया जाने वाला 100% व्यय वहन किया जाएगा।
3.3	कोडेक्स आदि के माध्यम से मसालों में मानकों के विकास हेतु हस्तक्षेप।	कार्यक्रम में मसालों और पाककला जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) के सत्रों के आयोजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (आईएसओ तकनीकी समिति, विभिन्न आईपीसी समितियां, कोडेक्स बैठकें) की मानक-निर्धारण गतिविधियों/बैठकों में भागीदारी आदि से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत बोर्ड द्वारा 100% व्यय वहन किया जाएगा।
घटक -IV	**व्यापार संवर्धन**	
1	अंतर्राष्ट्रीय मेलों/बैठकों/ संगोष्ठियों/प्रशिक्षणों में भागीदारी	क. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों, खाद्य महोत्सवों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, बैठकों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों, प्रतिनिधिमंडलों, अन्य प्रचार कार्यक्रमों आदि में भागीदारी/आयोजन के लिए किए गए व्यय का 100% इस कार्यक्रम के अंतर्गत वहन किया जाएगा।

		ख. इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार सृजन/विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को हवाई किराये की लागत के 75% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 2.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी। और इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में स्टॉल लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के निर्यातकों को स्टॉल किराए की लागत का 50% (अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष) सहायता प्रदान की जाएगी। और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को स्टॉल किराए की लागत का 75% (अधिकतम 7.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष) सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम मसालों के व्यापारी और निर्माता निर्यातकों दोनों के लिए लागू है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बोर्ड के मंडप में सह-प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) एक प्रस्ताव जिसमें निर्यातक द्वारा वित्तीय वर्ष में भाग लेने के लिए प्रस्तावित प्रदर्शनियों का विवरण और ऐसी भागीदारी के अपेक्षित परिणाम दर्शाए गए हों। यदि निर्यातक का मेले में स्टॉल लगाने का प्रस्ताव है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ग) कंपनी का संक्षिप्त विवरण।

		स्पाइसेस बोर्ड आवेदन का मूल्यांकन करेगा और सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी करेगा, जिसमें पात्रता और बोर्ड द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी दी जाएगी (मेले के समापन के बाद)। प्रत्येक प्रदर्शनी के समापन के तुरंत बाद, लेकिन भारत लौटने के 90 दिनों के भीतर, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। क) भाग ली गई गतिविधि के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट, वीडियो/फोटोग्राफ और भागीदारी के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों के साथ। ख) मेले की मेजबानी करने वाले देश को वर्तमान निर्यात और अगले 5 वर्षों के लिए अनुमानित निर्यात। ग) पासपोर्ट की सुपाठ्य फोटोकॉपी जिसमें भारत से प्रस्थान और आगमन तथा यात्रा किए गए देशों की प्रविष्टियाँ और/या होटल के बिल जैसे दस्तावेज़ी साक्ष्य शामिल हों। घ) हवाई टिकट और बोर्डिंग पास की प्रति। ङ) हवाई किराए के भुगतान का प्रमाण (बिल/रसीदें)। च) रसीद/चालान, बैंक रसीद आदि की मूल प्रति, जो स्टॉल/स्थान किराये, निर्माण, डिज़ाइन, निर्माण शुल्क आदि के लिए किए गए भुगतान का प्रमाण हो। छ) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। स्टॉल प्राप्त करने हेतु सहायता पर तभी विचार किया जाएगा जब स्थान सीधे मेला आयोजक/मेला आयोजक के अनुमोदित एजेंट/व्यापार सहायता संस्थानों (FIEO, eII, ICC, FICCI, TPCI आदि)/सरकारी विभागों आदि से प्राप्त किया गया हो। ऐसे मामले जिनमें निर्यातक द्वारा अन्य निर्यातकों/निजी संस्थाओं से उप-पट्टे पर स्टॉल स्थान प्राप्त किया गया हो, सहायता के लिए विचार नहीं किए जाएँगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
2	क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) और रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम)।	बोर्ड,का प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए प्रमुख उत्पादक/व्यापार क्षेत्रों के साथ-साथ प्रमुख आयातक देशों (भौतिक/हाइब्रिड/आभासी मोड आदि) में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करने का प्रस्ताव है। बोर्ड का वैश्विक खरीदारों को भारत लाने के लिए संघों और

		अन्य व्यापार सहायता संस्थानों को लाने/सहायता प्रदान करने और निर्यात/उत्पादन केंद्रों में खरीदारों और निर्यातकों के बीच रिवर्स बीएसएम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है ताकि व्यावसायिक संबंध स्थापित किए जा सकें। इस कार्यक्रम के तहत, बोर्ड द्वारा भौतिक/ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बीएसएम/आरबीएसएम आयोजित करने के लिए किए गए व्यय का 100% वहन किया जाएगा। अन्य संगठनों/संघों द्वारा आयोजित आरबीएसएम के लिए, प्रति खरीदार 2.50 लाख रुपये की सीमा के साथ 100% व्यय वहन किया जाएगा, जिसमें प्रति आयोजन अधिकतम 10 खरीदार होंगे। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) प्रस्तावित गतिविधि का विस्तृत प्रस्ताव (कार्यक्रम योजना) ग) आरबीएसएम में शामिल उत्पादों का विवरण। घ) प्रस्तावित खरीदारों का विवरण (फर्म, देश, क्षेत्र, खरीदार द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद। गैर-भारतीय मूल के खरीदारों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी) आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड संगठन को एक सैद्धांतिक पत्र जारी करेगा, जिसमें सहायता जारी करने के नियम और शर्तें बताई जाएँगी। आरबीएसएम के पूरा होने के तुरंत बाद, लेकिन 90 दिनों के भीतर, संगठन को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। क) प्रस्तावित परिणाम के साथ वीडियो और तस्वीरों के साथआरबीएसएम के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट। ख) खरीदार के पासपोर्ट की सुपाठ्य फोटोकॉपी जिसमें भारत में आगमन और प्रस्थान के बारे में प्रविष्टियाँ और होटल के बिल जैसे दस्तावेज़ी साक्ष्य शामिल हों। ग) खरीदार को भारत सरकार द्वारा जारी वीज़ा का विवरण (अधिमानतः व्यावसायिक वीज़ा) घ) हवाई किराए के भुगतान का प्रमाण (बिल/रसीदें) ङ) आवास शुल्क के भुगतान का प्रमाण। च) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया

		जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
3	घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीआई मसालों का प्रचार	बोर्ड का उद्देश्य जीआई मसालों के निर्यातकों को प्रचार गतिविधियों में सहायता प्रदान करना है। जीआई मसालों के निर्यातकों को प्रचार सामग्री/गतिविधियों की लागत का 50% सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकता है। प्रचार गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: क) जीआई मसालों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) में भागीदारी ख) जीआई मसालों के लिए प्रचार साहित्य, पत्रक, पैम्फलेट, डिजिटल/एवी प्रचार उपकरण आदि तैयार करना। ग) जीआई मसालों के मूल्य प्रस्ताव पर प्रकाश डालने वाले जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना। घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीआई ब्रांडों का प्रचार। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) फर्म द्वारा प्रस्तावित प्रचार गतिविधियों का विवरण देने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। ग) कंपनी का संक्षिप्त विवरण और कंपनी द्वारा प्रस्तावित जीआई मसालों का विवरण। आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवेदन योग्य पाया जाता है, तो अनुमोदित गतिविधियों को दर्शाते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया जाएगा। अनुमोदित गतिविधियों के पूरा होने के बाद, निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा: क) की गई गतिविधि की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें तस्वीरें/विवरण और जीआई रजिस्ट्री से अधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र की एक प्रति शामिल हो। ख) चार गतिविधि के लिए किए गए भुगतान के बिलों और प्रमाण की मूल प्रति।

		ग) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण। घ) जीआई टैग के साथ विपणन किए गए उत्पादों के नमूने। ङ) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त, जीआई मसालों के प्रचार हेतु स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार अभियानों और अन्य कार्यक्रमों का 100% व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत वहन किया जाएगा।
4	प्रकाशन, जनसंपर्क और अन्य प्रचार।	बोर्ड द्वारा प्रकाशन और जनसंपर्क गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं ताकि हितधारकों/जनता तक बोर्ड की प्रचार गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी पहुँचाई जा सके, भारतीय मसाला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लोकप्रिय बनाया जा सके। बोर्ड विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है जिनमें अनुसंधान, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, मसालों के निर्यात आदि के क्षेत्र से संबंधित लेख शामिल हैं। मसाला उद्योग के विकास के लिए प्रमुख राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी एक अन्य प्रचार माध्यम है। बोर्ड का नियमित रूप से निर्यातकों/किसान समूहों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भारत में विभिन्न प्रदर्शनियों/सेमिनारों/बैठकों में भाग लेने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड भारतीय मसाला क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार गतिविधियाँ भी संचालित करता है। बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का 100% इस कार्यक्रम के अंतर्गत वहन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों को घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि व्यवसाय उत्पन्न/ विकसित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपों

		(अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश) के सामान्य श्रेणी के निर्यातकों को घरेलू मेलों में भाग लेने के लिए हवाई किराये की लागत का 50%, अधिकतम 50,000 रुपये प्रतिवर्ष, सहायता प्रदान की जाएगी। और घरेलू मेलों में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों और एफपीओ निर्यातकों को हवाई किराए की लागत का 75%, अधिकतम 75,000 रुपये प्रतिवर्ष के अधीन। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों) के सामान्य श्रेणी के निर्यातकों को घरेलू मेलों में स्टॉल लगाने के लिए स्टॉल किराए की लागत का 50%, अधिकतम 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीपसमूहों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों को घरेलू मेलों में स्टॉल लगाने के लिए स्टॉल किराए की लागत का 75%, अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम घरेलू व्यापार मेलों में बोर्ड के मंडप में सह-प्रतिभागियों (जो उपर्युक्त श्रेणी में आते हैं) के लिए लागू है। जमा किए जाने वाले दस्तावेज़: क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) निर्यातक द्वारा भाग लिए जाने वाले प्रदर्शनियों का विवरण और अपेक्षित परिणाम दर्शाने वाला एक प्रस्ताव। यदि निर्यातक का मेले में स्टॉल लगाने का प्रस्ताव है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

		ग) कंपनी का संक्षिप्त विवरण। स्पाइसेस बोर्ड आवेदन का मूल्यांकन करेगा और सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी करेगा, जिसमें स्वीकृत गतिविधियों और सहायता प्राप्त करने के लिए (मेले के समापन के बाद) बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख होगा। प्रत्येक प्रदर्शनी के समापन के तुरंत बाद, लेकिन 90 दिनों के भीतर लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। क) भाग ली गई गतिविधि के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट, वीडियो/फोटोग्राफ और प्राप्त उपलब्धियों के साथ। ख) हवाई टिकट, चालान और भुगतान के प्रमाण की प्रति। ग) रसीद, बैंक नोट आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां, जो स्टॉल/स्थान किराये, निर्माण आदि के लिए किए गए भुगतान का प्रमाण हों। घ) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा सत्यापन किया जाएगा और धनराशि की उपलब्धता के अधीन, फर्म को पात्र सहायता जारी की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात दायित्व निर्धारित नहीं है।
घटक -V	**तकनीकी हस्तक्षेप**	
1	उद्यमियों की रुचि बढ़ाने के लिए मसाला इन्क्यूबेशन केंद्रों को सहायता (एस्पायर)	स्पाइसेस बोर्ड ने नवीन विचारों वाले निर्यातकों/स्टार्ट-अप्स/एसएमई/उद्यमियों को समर्थन देने के लिए, मसाला क्षेत्र में नवीन उत्पादों/प्रक्रियाओं के विकास में उनका मार्गदर्शन/सहायता करने के उद्देश्य से, चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों में 'मसाला इनक्यूबेशन केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता के लिए विशेषज्ञ संस्थान को 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे विशेषज्ञ संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और इनक्यूबेशन केंद्र की आवश्यकता और प्रदर्शन के आकलन के आधार पर 25 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड द्वारा चिन्हित विशेषज्ञ संस्थानों जैसे सीएफटीआरआई, टीएनएयू, मिजोरम विश्वविद्यालय, आईआईटी-गुवाहाटी, एनआईएन और एनआईएफटीईएम के अलावा, रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की भी पहचान की जाएगी।

		ईओआई के लिए विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़। क) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) संस्थान द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव जिसमें इनक्यूबेशन केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, मसालों में इनक्यूबेशन करने में संस्थान की विशेषज्ञता, विभिन्न केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के अंतर्गत इनक्यूबेटीज़ के लिए संस्थान के वर्तमान कार्यक्रम, मेंटरों की उपलब्धता, अपेक्षित परिणाम आदि का उल्लेख हो। ईओआई प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित एक समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और संस्थान में उपलब्ध इनक्यूबेशन सुविधाओं का दौरा करने के बाद विशेषज्ञ संस्थान के रूप में चयन हेतु संस्थानों को सूचीबद्ध करेगी। चयनित विशेषज्ञ संस्थान स्पाइसेस बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और बोर्ड अपनी योजना के तहत आवेदक को विशेषज्ञ संस्थान के रूप में सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा। सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी होने के बाद, विशेषज्ञ संस्थान एकमुश्त सहायता जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत करेगा। <u>इनक्यूबेटीज़ के लिए सहायता</u> डीपीआईआईटी अधिसूचना के अनुसार, यह कार्यक्रम मसालों के पंजीकृत निर्यातकों, पंजीकृत एसएमई, पंजीकृत एफपीओ और भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए पात्र है। कार्यक्रम के तहत, अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रति इनक्यूबेट 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। परियोजना के अनुसंधान एवं विकास की लागत के लिए इनक्यूबेटी को पात्र सहायता का 80%, जो अधिकतम 8 लाख रुपये तक हो सकती है, दिया जाएगा, जैसे प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए विशेषज्ञ संस्थान द्वारा आवश्यक और प्रमाणित रसायनों/अन्य उपभोग्य सामग्रियों की लागत, एक अनुसंधान या परियोजना सहायक की लागत, आवश्यक परिष्कृत उपकरणों के उपयोग के लिए शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, विशेषज्ञ संस्थान को देय पायलट प्लांट परामर्श शुल्क आदि, प्रति इनक्यूबेटी मामले के आधार पर पायलट प्लांट की लागत, उत्पाद/प्रचार साहित्य की छपाई और बाजार में विकसित उत्पाद/प्रक्रिया को लॉन्च करने के लिए नमूनों के वितरण सहित विपणन व्यय आदि।

		पात्र सहायता का 20%, जो अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इनक्यूबेट हो सकती है, सीधे विशेषज्ञ संस्थानों को प्रदान किया जाएगा, जो 12 महीने की इनक्यूबेशन अवधि के दौरान इनक्यूबेट द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली, स्थान किराया/कार्यालय सुइट्स, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय और अन्य सेवाओं के शुल्क के लिए होगा। अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, इनक्यूबेटी द्वारा सीधे विशेषज्ञ संस्थान को भुगतान की जाएगी। बोर्ड, चयनित विशेषज्ञ संस्थान के परामर्श से, मसाला क्षेत्र में नवीन उत्पादों/प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं के विकास हेतु विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, मसाला उद्योग के पंजीकृत निर्यातकों, पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई), पंजीकृत एफपीओ, डीपीआईआईटी अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा। विशेषज्ञ संस्थान से इनक्यूबेशन कराने के इच्छुक आवेदकों को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनक्यूबेटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज क) पात्रता को पूरा करने वाले सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन। ख) कंपनी/फर्म का संक्षिप्त विवरण। ग) संक्षिप्त प्रस्ताव/विचार। घ) प्रस्ताव/विचारों का परिणाम। ङ) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण। प्राप्त ईओआई का मूल्यांकन स्पाइसेस बोर्ड और सीएफटीआरआई के सदस्यों वाली एक इनक्यूबेशन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा किया जाएगा। इनक्यूबेटीज़ को समिति के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। इनक्यूबेशन मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को विस्तृत व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा, जैसे अनुसंधान एवं विकास कार्यों का विवरण, आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विवरण। स्थान, कार्य केंद्र, पीसी, विशेष उपकरण सहायता, मार्गदर्शन की आवश्यकता, निवेश, परियोजना की

		कुल लागत, प्राप्त या प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता, समय-सीमा, निर्यात में योगदान सहित मसाला क्षेत्र के लिए प्रत्याशित लाभ/परिणाम, बौद्धिक संपदा घोषणा आदि। सूचीबद्ध आवेदक अपना विस्तृत व्यवहार्य प्रस्ताव स्पाइसेस बोर्ड, सीएफटीआरआई के अधिकारियों, और यदि कोई बाह्य विशेषज्ञ हो, तो स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विशेषज्ञों की समिति योजना के अंतर्गत उपयुक्त आवेदक का चयन इनक्यूबेटी के रूप में करेगी। बोर्ड इनक्यूबेटी को सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी करेगा, जिसके बाद बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। चयनित इनक्यूबेटी को विशेषज्ञ संस्थान के माध्यम से तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन, प्रासंगिक उपकरणों, संसाधनों और ज्ञान स्रोतों तक पहुँच जैसे पहलुओं को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत इनक्यूबेटी को सहायता/सहायता की अवधि 12 महीने होगी। बोर्ड, इनक्यूबेटी से अनुरोध प्राप्त होने पर, इनक्यूबेटी द्वारा प्राप्त प्रगति और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर, 6 महीने तक की अवधि विस्तार प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में, इनक्यूबेटी को विशेषज्ञ संस्थान की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह विशेषज्ञ संस्थान द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं/ सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करे। इनक्यूबेशन अवधि के विस्तार के लिए, यदि कोई अतिरिक्त लागत हो, तो इनक्यूबेटी द्वारा सीधे इनक्यूबेशन केंद्र को भुगतान किया जाएगा। समझौते के निष्पादन के बाद, विशेषज्ञ संस्थान प्रत्येक चयनित इनक्यूबेटी का मार्गदर्शन करने, परियोजना की प्रगति की समय-समय पर निगरानी करने और मसाला क्षेत्र में उनके नवोन्मेषी उत्पाद/प्रक्रिया के विकास हेतु चुनौतियों का यथासंभव समाधान करने में सहायता करने के लिए तीन मार्गदर्शक प्रदान करेगा। इनक्यूबेशन अवधि के दौरान, तिमाही आधार पर, इनक्यूबेटी को अधिकतम सीमा के अधीन पात्र सहायता का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। क) प्रस्ताव के परिणाम के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट। ख) इन्क्यूबेटीज़ से उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय विवरण, बिल और अन्य सहायक दस्तावेज़, जो सीए और विशेषज्ञ संस्थान द्वारा विधिवत प्रमाणित हों।

		ग) इन्क्यूबेट द्वारा शुरू की गई परियोजना की प्रभावशीलता पर विशेषज्ञ संस्थान की रिपोर्ट। घ) बोर्ड द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज। विशेषज्ञों की समिति इनक्यूबेटी द्वारा की गई प्रगति और उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगी और इनक्यूबेटी को पात्र सहायता जारी करने की अनुशंसा करेगी। समिति की अनुशंसा और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, बोर्ड तिमाही आधार पर इनक्यूबेटी को पात्र सहायता जारी करेगा। हालाँकि, यदि इनक्यूबेटी को अग्रिम राशि की आवश्यकता होती है, तो बोर्ड समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर कुल पात्र सहायता का 25%, अधिकतम 2 लाख रुपये, अग्रिम के रूप में जारी करेगा। ऐसी आवश्यकताओं के बारे में बोर्ड को पहले से सूचित किया जाएगा।
2	ई-नीलामी प्रणाली का उन्नयन, निर्यात सोर्सिंग के लिए ई-स्पाइस बाज़ार प्लेटफॉर्म को मजबूत करना और ट्रेसिबिलिटी हस्तक्षेपों का समर्थन करना।	उप-घटक का उद्देश्य ई-नीलामी प्रणाली का रखरखाव और सुदृढ़ीकरण तथा भविष्य में ऑनलाइन नीलामी प्रणाली, ई-मसाला बाज़ार, भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन-संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफ़ेस का विकास आदि का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए 100% व्यय वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम/हस्तक्षेपों को लागू करने हेतु निर्यातकों को लागत के 50% पर परियोजना-आधारित सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगी, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास, क्षेत्र स्तरीय सुविधा आदि शामिल होंगे। स्पाइसेस बोर्ड, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम/हस्तक्षेपों को लागू करने हेतु मसालों के पंजीकृत निर्यातकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा। रुचि की अभिव्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। क) ट्रेसिबिलिटी प्रणाली के कार्यान्वयन पर विस्तृत प्रस्ताव। ख) की जाने वाली गतिविधियों और सेवा प्रदाताओं का विवरण। ग) न्यूनतम दो सेवा प्रदाताओं से कोटेशन। आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवेदन योग्य पाया जाता है, तो निर्यातक को स्वीकृत गतिविधियों का संकेत देते हुए सैद्धांतिक

		स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृत गतिविधियाँ पूरी होने के बाद, निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा: क) ट्रेसिबिलिटी प्रणाली के कार्यान्वयन पर संक्षिप्त रिपोर्ट। ख) चालान की प्रति और भुगतान का प्रमाण। ग) अतिरिक्त दस्तावेज़, यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक हो
3 आईटी सेवाएँ	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और आईटी सेवाएं	बोर्ड के पास सिस्टम, नेटवर्क और डेटाबेस प्रशासन, डेटा प्रोसेसिंग, बोर्ड की वेबसाइटों के रखरखाव और अद्यतन में समन्वय जैसी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग विभाग है। बोर्ड www.indianspices.com, www.indianspices.org.in www.spicesboard.in आदि वेबसाइटों का रखरखाव कर रहा है, जो बोर्ड की गतिविधियों और सामान्य रूप से मसाला व्यापार की एक झलक देते हैं। ईडीपी और आईटी सेवाओं के अलावा, बोर्ड/मंत्रालय के विभिन्न ऑनलाइन इंटरफेस/इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे पंजीकरण और लाइसेंसिंग, वित्तीय लेखांकन और वेतन रोल, व्यक्तिगत जानकारी, पुस्तकालय सूचीकरण, इलायची की ई-नीलामी, निर्यात सहायता प्रणाली, अनुदान प्रबंधन प्रणाली, ई-भुगतान, ई-ऑफिस सिस्टम, कार्यालय दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, डेटा सेंटर संवर्द्धन, ई-टेंडर सिस्टम (ई-खरीद), मंत्रालय की डीबीटी पहल जैसे उमंग, सर्विस प्लस आदि का प्रबंधन/समर्थन करता है। बोर्ड द्वारा 100% व्यय कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा।
घटक VI	**अनुसंधान**	
क्र.सं.	**कार्यक्रम**	**सहायता का पैमाना**
	1.1 छोटी इलायची पर शोध	
1. छोटी और बड़ी इलायची	1.1.1 छोटी इलायची में आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण एवं चयन एवं संकरण के माध्यम से किस्म विकास।	क) इलायची (एलेटेरिया कार्डामोमम) और संबद्ध प्रजातियों में जीन पूल का संग्रह, संरक्षण, मूल्यांकन और सूचीकरण, जिसमें सर्वेक्षण और संग्रह, गुणन और संरक्षण, मूल्यांकन और प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण शामिल हैं। ख) इलायची में गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के लिए फसल सुधार, जिसमें इलायची में सूखा सहिष्णुता पर समन्वित किस्म परीक्षण, इलायची की कृषक किस्मों पर समन्वित किस्म परीक्षण, छोटी इलायची के संकरों पर सीवीटी शामिल हैं।

पर शोध		ग) रोगों, कीटों और सूखे के प्रति सहनशीलता के लिए प्रजनन, जिसमें इलायची में थ्रिप्स के प्रति सहनशीलता के लिए प्रजनन, इलायची में थ्रिप्स के प्रति सहनशीलता के लिए प्रजनन (एआईसीआरपीएस) शामिल हैं। घ) इलायची में संकरण और इलायची पर जैव-प्रौद्योगिकी अध्ययन, जिसमें इलायची जर्मप्लाज्म का आणविक लक्षण वर्णन, विभिन्न भौगोलिक स्थानों से इलायची का लक्षण वर्णन, बड़ी इलायची जर्मप्लाज्म का आणविक लक्षण वर्णन शामिल है। ङ) इलायची ट्रांसक्रिप्टोम परियोजना, जिसमें इलायची से फ्यूजेरियम आइसोलेट्स का आणविक लक्षण वर्णन शामिल है। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक
		प्रयोगशाला/मशीनरी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.1.2 जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के माध्यम से वायरल रोग की आसानी से पहचान करने वाली किट का विकास।	छोटी इलायची में विषाणु निदान। कट्टे विषाणु रोग के लिए त्वरित पहचान किट विकसित की जाएँगी। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ/मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमानुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.1.3 छोटी इलायची में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)।	क) इलायची के लिए पोषण प्रबंधन जिसमें इलायची की वृद्धि और उपज पर नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रभाव का मूल्यांकन, नर्सरी में इलायची की वृद्धि पर नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रभाव का मूल्यांकन, इलायची की वृद्धि और उपज पर सूक्ष्म पोषक मिश्रण का प्रभाव, इलायची की वृद्धि और उपज पर सिलिकॉन अनुप्रयोग के प्रभाव का मूल्यांकन, नर्सरी में इलायची की वृद्धि पर सिलिकॉन अनुप्रयोग के प्रभाव का मूल्यांकन, पर्ण पोषक अनुप्रयोग का मूल्यांकन, छोटी इलायची की वृद्धि और उपज पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रभाव, इलायची के विभिन्न उपज लक्ष्य के लिए साइट-विशिष्ट पोषक तत्व सिफारिश, इलायची के विभिन्न उपज लक्ष्य के लिए साइट-विशिष्ट पोषक तत्व सिफारिश। नवीन जल में घुलनशील/मिश्रित उर्वरक जैसे नैनो नाइट्रोजन, पॉलीसल्फेट, पोटेशियम सिलिकेट आदि का छोटी इलायची में उनके प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। नियमों के अनुसार, इसकी वितरण प्रणाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित

		की जाएगी। केरल के लिए विकसित छोटी इलायची में एक अनुकूलित ऑनलाइन पोषक तत्व अनुशंसा प्रणाली (इलायची क्षेत्र के जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता आकलन को एकीकृत करना - मोबाइल ऐप) का तमिलनाडु और केरल राज्यों में विस्तार किया जाएगा। क्लाउड-आधारित प्रबंधन का रीयल-टाइम अद्यतन रबर बोर्ड (आरआरआईआई) और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल को आउटसोर्स किया जाएगा, जो संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.1.4 छोटी इलायची में एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन (आईपीडीएम) और जैविक/प्राकृतिक खेती।	क) छोटी इलायची के सड़न रोगों के प्रबंधन के लिए कवकनाशी के नए अणुओं के मूल्यांकन सहित अझुकल रोग और उसके प्रबंधन पर अध्ययन और छोटी इलायची में कैप्सूल सड़न *(फाइटोफ्थोरा प्रजाति)* और प्रकंद सड़न *(पाइथियम वेक्सन्स/राइजोक्टोनिया सोलानी)* रोगों के विरुद्ध फ्लूओपिकोलाइड 4.44%+ फोसेटाइल-एएल 66.67% डब्ल्यूजी (प्रोफाइलर) की जैव-प्रभावकारिता और फाइटो-विषाक्तता का मूल्यांकन। ख) इडुक्की जिले में विभिन्न स्थानों पर इलायची के रोगों की निगरानी सहित पर्ण और लघु रोगों पर अध्ययन। ग) इलायची के आनुवंशिक संसाधन और उसका उपयोग, जिसमें रोगों और कीटों के प्रति सहनशीलता/प्रतिरोध के लिए इलायची जर्मप्लाज्म की जाँच, सड़न रोगों के प्रबंधन के लिए छोटी इलायची के प्राकृतिक सड़न प्ररोहों का संग्रह, मूल्यांकन और उपयोग शामिल है। घ) कर्नाटक में इलायची के कट्टे और कोक्के कंडू प्ररोहों का संग्रह और उपयोग, जिसमें मसालों के आईपीएम में उपयोग के लिए टैंक मिश्रणों में कीटनाशकों और उर्वरकों की अनुकूलता का निर्धारण, छोटी इलायची में प्रकंद सड़न के विरुद्ध कवकनाशी का मूल्यांकन, छोटी इलायची में पत्ती झुलसा के विरुद्ध कवकनाशी का मूल्यांकन शामिल है। ङ) मसालों के कीटों के विरुद्ध नए रासायनिक कीटनाशक अणुओं का मूल्यांकन, जिसमें नए कीटनाशक अणुओं के मूल्यांकन पर अवलोकनात्मक परीक्षण शामिल है। च) इलायची के पुष्पगुच्छ, संपुट और प्ररोह छिद्रक, कोनोगेथेस प्रजाति के मादा लैंगिक फेरोमोन घटकों का पृथक्करण, पहचान, संश्लेषण, प्रयोगशाला और क्षेत्रीय

		मूल्यांकन सहित मसालों के कीटों का व्यवहारिक प्रबंधन। छ) इलायची के कीटों के विरुद्ध संभावित जर्मप्लाज्म अभिगमों की क्षेत्रीय परिस्थितियों में जाँच सहित थ्रिप्स के प्रति सहनशीलता हेतु इलायची अभिगमों की जाँच। सीआईबी और आरसी में पंजीकरण हेतु छोटी इलायची में प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी, प्राकृतिक शत्रुओं और अवशेष भार पर डेटा उत्पन्न करने हेतु नए कीटनाशक अणुओं का अध्ययन किया जाएगा। प्रमुख कीटों, पीड़कों और रोगों के प्रबंधन के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जाएँगी। इनकैप्सुलेशन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आदि जैसी नवीन औषधि/सूत्रीकरण वितरण प्रणालियाँ विकसित की जाएँगी। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ/मशीनरी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.1.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसानों के खेतों में अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, कार्बन क्रेडिट के लिए पायलट परियोजना और हितधारकों के लिए अन्य अनुसंधान एवं आउटरीच सेवाएं।	इलायची की खेती के लिए मृदा परीक्षण सेवाएँ और उर्वरक सुझाव, इलायची के पौधों/पौधों का व्यापक उत्पादन (आईसीआरआई 5 और आईसीआरआई-10), विस्तार गतिविधियाँ, जैव-कारकों, वीएएम आदि का व्यापक गुणन, खेतों का रखरखाव और उन्नयन, प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना, कार्बन क्रेडिट पर अध्ययन, उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर कौशल विकास कार्यक्रम, वैज्ञानिक-किसान संपर्क, समूह बैठकें, सेमिनार/कार्यशालाएँ, दृश्य-श्रव्य सामग्री/वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और विस्तार सामग्री का प्रकाशन, अन्य शोध और आउटरीच गतिविधियाँ आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की जाएँगी। साथ ही, हितधारकों को आउटरीच सेवाएँ प्रदान करने में सहायता के लिए प्रशिक्षुओं, युवा पेशेवरों और अन्य आउटसोर्स जनशक्ति को उपयुक्त रूप से नियोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों में विस्तार सामग्री/पुस्तकों का मुद्रण, पुस्तकालय/ऑनलाइन पत्रिकाओं के लिए पुस्तकों की खरीद, ऑडियो/वीडियो सामग्री तैयार करना, विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों की लागत का आयोजन, मोबाइल क्लिनिक और मृदा संग्रह के लिए वाहन का रखरखाव, स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना, सर्वेक्षण दस्तावेज आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	बड़ी इलायची पर शोध	

	1.2.1 बड़ी इलायची में आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण एवं चयन एवं संकरण के माध्यम से किस्म विकास।	क) बड़ी इलायची में जीन पूल का संग्रह, संरक्षण, मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण, जिसमें जर्मप्लाज्म का संग्रह, मूल्यांकन, संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण शामिल है। ख) बड़ी इलायची के गुणात्मक और मात्रात्मक गुणों में सुधार, जिसमें चयन, संकरण आदि शामिल हैं। ग) बड़ी इलायची की सूखा सहिष्णु किस्मों का विकास, जिसमें बड़ी इलायची की सूखा सहिष्णु प्रजातियों की जाँच, बाह्य वित्तपोषित परियोजना - एआईसीआरपीएस, जर्मप्लाज्म संग्रह, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन और संरक्षण आदि शामिल हैं। बड़ी इलायची के जर्मप्लाज्म को बनाए रखा जाएगा और नए जर्मप्लाज्म जोड़े जाएँगे। चयन के माध्यम से विकसित जैविक और अजैविक तनाव को झेलने वाली नई उन्नत किस्में जारी की जाएँगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.2.2 जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के माध्यम से वायरल रोगों का आसानी से पता लगाने वाली किट का विकास।	बड़ी इलायची में वायरल डायग्नोस्टिक्स विकसित किए जाएँगे, जिनमें चिरके [बड़ी इलायची चिरके वायरस (LCCV)] और फुरकी [इलायची बुशी ड्वार्फ वायरस (CBDV)] वायरल रोगों के लिए त्वरित पहचान किट शामिल हैं। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ/मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.2.3 बड़ी इलायची में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम)।	बड़ी इलायची में पोषण संबंधी अध्ययन, जिसमें अत्यधिक उत्पादक और रोगग्रस्त बड़ी इलायची के बागानों से मिट्टी और पत्तियों के नमूनों का मूल्यांकन शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बड़ी इलायची में एक अनुकूलित ऑनलाइन पोषक तत्व अनुशंसा प्रणाली (इलायची
		क्षेत्र के जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता आकलन को एकीकृत करना - मोबाइल ऐप) विकसित की जाएगी। क्लाउड-आधारित प्रबंधन का रीयल-टाइम अद्यतन रबर बोर्ड (आरआरआईआई) और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल को आउटसोर्स किया जाएगा, जो संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।

	1.2.4 बड़ी इलायची में एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन (आईपीडीएम)।	क) बड़ी इलायची में कीट निगरानी, जिसमें कीटों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर अध्ययन, बड़ी इलायची के परागणकों पर अध्ययन, बड़ी इलायची के कैप्सूल बोरर पर अध्ययन, सिक्किम और हिमालयी परिस्थितियों में बड़ी इलायची में कीट/कीट सहनशील प्रजातियों की पहचान पर अध्ययन, बड़ी इलायची में सफेद ग्रब का प्रबंधन आदि शामिल हैं। ख) बड़ी इलायची पर सूत्रकृमि की घटना पर अध्ययन, जिसमें बड़ी इलायची से जुड़ी सूत्रकृमि प्रजातियों की पहचान शामिल है। ग) बड़ी इलायची के कोलेटोट्राइकम ब्लाइट पर जांच, जिसमें रोग की घटना का आकलन भी शामिल है। घ) बड़ी इलायची को प्रभावित करने वाले रोगों का प्रबंधन, जिसमें सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक विधियों द्वारा कोलेटोट्राइकम ब्लाइट का प्रबंधन, अकेले पैराफिनिक तेल का मूल्यांकन और इलायची के कोलेटोट्राइकम ब्लाइट के विरुद्ध कवकनाशी/जैव-एजेंटों के साथ सहायक के रूप में उपयोग आदि शामिल हैं। ङ) बड़ी इलायची के रोगों का जैविक नियंत्रण, जिसमें कवक रोगजनकों के विरुद्ध स्वदेशी लाभकारी सूक्ष्मजीवों (आईबीएम) का पृथक्करण, रखरखाव, इन-विट्रो और इन-विवो जांच, मृदा जनित रोगजनकों के इनोकुलम को कम करने के लिए जैव-इनोकुलेंट्स के साथ और बिना विभिन्न तेल केक का मूल्यांकन शामिल है। च) रोगों के प्रति प्रतिरोधकता के स्रोतों की पहचान, जिसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधकता के स्रोतों की पहचान, झुलसा रोग के विरुद्ध विभिन्न किस्मों/प्रजातियों का मूल्यांकन, बड़ी इलायची में विषाणु रोगों का सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। छ) विल्ट रोग/शुष्क सड़न का अध्ययन, जिसमें विल्ट/शुष्क सड़न के रोगजनकों का सर्वेक्षण और रोगजनकता शामिल है। बड़ी इलायची में कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण विधियाँ विकसित की जाएँगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बड़ी इलायची पारिस्थितिकी तंत्रों से पादप वृद्धि संवर्धक राइजोबैक्टीरिया (पीजीपीआर) की उपयोगी देशी प्रजातियों का पृथक्करण, जाँच और लक्षण-निर्धारण विकसित किया जाएगा।

		इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	1.1.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसानों के खेतों में उत्तम कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, कार्बन क्रेडिट के लिए पायलट परियोजना और हितधारकों के लिए अन्य अनुसंधान एवं आउटरीच सेवाएँ।	इलायची के बागानों के लिए मृदा परीक्षण सेवाएं और उर्वरक सिफारिशें, इलायची के पौधों/पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, विस्तार गतिविधियां, जैव-एजेंट, वीएएम आदि का बड़े पैमाने पर गुणन, खेतों का रखरखाव, प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना, कार्बन क्रेडिट पर अध्ययन, अच्छे कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर कौशल विकास कार्यक्रम, वैज्ञानिक-किसान इंटरफेस, समूह बैठक, सेमिनार/कार्यशालाएं, ऑडियो-विजुअल एड्स/वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विस्तार सामग्री का प्रकाशन, अन्य शोध और आउटरीच गतिविधियां आदि इस कार्यक्रम के तहत कवर की जाएंगी। साथ ही, हितधारकों को आउटरीच सेवाएं प्रदान करने में सहायता के लिए प्रशिक्षुओं, आउटसोर्स जनशक्ति को उपयुक्त रूप से लगाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में विस्तार सामग्री/पुस्तकों की छपाई, पुस्तकालय/ऑनलाइन पत्रिकाओं के लिए पुस्तक की खरीद, ऑडियो/वीडियो सामग्री तैयार करना, विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों की लागत का आयोजन, मोबाइल क्लिनिक और मिट्टी संग्रह के लिए वाहन का रखरखाव आदि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
	नवाचारों और जैव पूर्वेक्षण को बढ़ावा देना	
2) निर्यात विकास के लिए अनुप्रयुक्त एवं सहयोगात्मक अनुसंधान पहल।	2.1.1 निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेटेंट और व्यावसायीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जैव पूर्वेक्षण एवं नवाचार केंद्र।	मसालों में मौजूद जैविक अंशों/पादप यौगिकों को अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से इन विट्रो और नैदानिक अध्ययनों के माध्यम से पृथक, लक्षण-निर्धारण और मूल्यांकन किया जाएगा। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ/मशीनरी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। मसालों में मौजूद नवीन यौगिकों के पृथक्करण और लक्षण-निर्धारण हेतु इन विट्रो और नैदानिक अध्ययनों और नवीन विधियों के विकास हेतु फाइटोकेमिकल के लिए आईसीआरआई, मायलाडुमपारा में एक नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। मसालों, विशेष रूप से इलायची से संबंधित उत्पाद/प्रक्रिया विकास में रुचि रखने वाले स्टार्ट-अप/उद्यमियों को आईसीआरआई में उपलब्ध विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से एक अनुकूल वातावरण प्रदान करके समर्थन देने का भी प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।

	2.1.2 निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए मसाला प्रौद्योगिकी केंद्र का विकास	क) मसालों के कटाई-पश्चात प्रबंधन पर अध्ययन, जिसमें उन्नत ड्रायरों में विभिन्न मसाला फसलों के लिए सुखाने की तकनीकों का मानकीकरण शामिल है। ख) आईसीआरआई संशोधित भट्टी में सुधार सहित क्योरिंग प्रणालियों में सुधार, बड़ी इलायची को क्योरिंग के लिए विभिन्न ड्रायरों के तुलनात्मक मूल्यांकन पर अध्ययन आदि। ग) बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार, जिसमें भंडारण के लिए विभिन्न पैकिंग सामग्री और बड़ी इलायची की बेहतर शेल्फ लाइफ पर अध्ययन, इलायची कैप्सूल में कीटनाशक अवशेषों पर ओजोन के प्रभाव पर अध्ययन आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में उद्योग और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों (निफ्टम, आईआईएफपीटी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय आदि) के सहयोग से निर्यात मांग वाले मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए उन्नत तकनीकों के मानकीकरण और मूल्यांकन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। चूँकि स्पाइसेस बोर्ड में कुछ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ/मशीनरी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
घटक VII	**क्षमता निर्माण और कौशल विकास**	
क्र.सं.	**कार्यक्रम**	**सहायता का पैमाना**
1	क्षमता निर्माण कार्यक्रम।	इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बोर्ड का हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, गैर सरकारी संगठनों और राज्य कृषि/बागवानी विभाग के सदस्यों, बोर्ड के अधिकारियों आदि को आईपीएम/जीएपी/जीएमपी, मसालों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार, इलायची (छोटी और बड़ी) की उत्पादकता में सुधार के कार्यक्रम आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, उद्यमिता विकास (ईडीपी), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस), यूएसएफडीए-स्पाइसेस बोर्ड सहयोगी कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रबंधन, कार्यकारी विकास, तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अधिकारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार संरचना, पैकेजिंग और लेबलिंग प्रथाओं, वितरण और विपणन विकल्प, परिस्थितिजन्य कारक, खुदरा क्षेत्र और प्रचार प्रथाओं, आयात/निर्यात से संबंधित नीतिगत

		मुद्दे, कार्यकारी प्रबंधन आदि पर निर्यातकों, बोर्ड के अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, बोर्ड की योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, कार्य-अध्ययन और आकलन करने के लिए व्यय, जिसका उद्देश्य हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड की गतिविधियों और कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना है, इस घटक के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
2	अध्ययन/एक्सपोज़र दौरे।	बोर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, मसाला प्रसंस्करण इकाइयों, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं, प्रगतिशील उत्पादकों के खेतों आदि के लिए भ्रमण की व्यवस्था करके पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य राज्यों के अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। परिवहन, भोजन और आवास व्यय सहित प्रशिक्षण की लागत कार्यक्रम के अंतर्गत होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
घटक VIII	**स्थापना**	
क्र.सं.	**कार्यक्रम**	**सहायता का पैमाना**
1	वेतन	विकास, अनुसंधान, विपणन, गुणवत्ता और अन्य सहायक/सेवा विभागों जैसे लेखा, प्रशासन आदि के कार्मिकों के वेतन और भत्ते इस घटक के अंतर्गत शामिल हैं।
		इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।
2	पेंशन और पेंशन संबंधी हितलाभ	इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। कार्यकलापों पर होने वाले 100% व्यय को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
3	स्थापना	इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय, फील्ड कार्यालयों, फार्मों के प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/क्यूईएल/नर्सरी, ई-नीलामी केंद्रों, अन्य प्रतिष्ठानों आदि में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण/रखरखाव, अनुसंधान केंद्रों/फार्मों में श्रमिक आवास, लघु कार्य, नए वाहनों की खरीद/किराए पर लेने का व्यय, बोर्ड की बैठकों का संचालन, फार्मों में कार्यरत श्रमिकों को मुआवजा भुगतान, बाहरी एजेंसी की आउटसोर्सिंग, सलाहकारों, अधिकारियों, युवा पेशेवरों,

		प्रशिक्षुओं, अन्य आउटसोर्स मानव संसाधन आदि की भर्ती आदि के प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। साथ ही, बोर्ड की गतिविधियों और कार्यप्रणाली से संबंधित विविध व्यय, आकस्मिकताएँ, ओवरहेड्स आदि भी इस घटक के अंतर्गत कवर किए जाएँगे। इस मद में होने वाले किसी भी घाटे की पूर्ति बोर्ड द्वारा उत्पन्न IEBR (आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन) द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों पर होने वाले व्यय का 100% कवर किया जाएगा।

टिप्पणी:

1. सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, का योजना के घटक या उप-घटक के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम के संबंध में सहायता की प्राप्ति, जांच और संवितरण के लिए उप निदेशक/सहायक निदेशक/वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/निर्यात संवर्धन अधिकारी के पद से नीचे के बोर्ड के किसी भी अधिकारी के संबंध में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और परिवर्तन/संशोधन का अधिकार सुरक्षित है।
2. संवितरण कार्यालयों में कोई भी प्राधिकारी अनुमोदित योजना में शामिल निर्धारित दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन को माफ करने के लिए अधिकृत नहीं है।
3. स्पाइसेस बोर्ड का किसी भी समय मंजूरी वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है, यदि उसे पता चलता है कि आवेदन योजना के मानदंडों के उल्लंघन में दायर किया गया है या यह प्रकृति में धोखाधड़ीपूर्ण है और ऐसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व आवेदक का होगा और ऐसी स्थिति में भुगतान, मुआवजे या क्षति के लिए बोर्ड द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

****